घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 226- बुधवार 17- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

हार नहीं मान रहीं ममता बनर्जी, चुनाव परिणाम 2026 को हाईकोर्ट में दी चुनौती

कोलकाता,16 जून 2026। ममता बनर्जी ने भवानीपुर की हार को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गईं और भवानीपुर विधानसभा रिजल्ट के नतीजे को चुनौती दी है। ममता बनर्जी के साथ सांसद डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेना और कल्याण बनर्जी मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार ममता याचिका के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने कोर्ट पहुंचीं थीं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर थी। इस सीट से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। जबकि ममता को हार का मुंह देखना पड़ा था। कांटे की टक्कर में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने इस सीट पर ममता बनर्जी को 15104 वोटों से मात दी थी। इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 73917 और ममता बनर्जी को 58812 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के श्रीजीब विश्वास को 3556 वोट मिले थे। ममता बनर्जी मतगणना के दिन 16-17 राउंड तक आगे ही थीं। लेकिन दोनों उम्मीदवारों के बीच गैप धीरे धीरे कम होता गया। आखिर मतगणना के आखिरी चरणों में शुभेंदु अधिकारी ने तगड़ी लीड ली और आखिरकार 15104 वोट से चुनाव जीत गए। इस सीट पर मतगणना के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। 4 मई 2026 को भवानीपुर सीट के लिए वोटों की गिनती के दौरान आरोप-प्रत्यारोप और सुरक्षा बलों को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। दोपहर में भवानीपुर के मतगणना केंद्र सखावत मेमोरियल स्कूल में कुछ समय के लिए मतगणना रोक दी गई। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर अंदर प्रवेश कर गया था जिसके कारण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोका गया और बाद में फिर शुरू किया गया। जैसे-जैसे मुकाबला कड़ा होता गया ममता बनर्जी स्वयं मतगणना केंद्र पहुंच गईं। शाम के समय तनाव और बढ़ गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके एजेंटों को अंदर जाने से रोका गया, सीसीटीवी बंद कर दिए गए और केंद्रीय बलों द्वारा टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

आगरा में 250 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

आगरा,16 जून 2026। आगरा में मंगलवार को एमजी रोड स्थित आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीच बनी करीब 250 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने हटवा दिया। यह कार्रवाई दोपहर लगभग एक बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शुरू की गई और करीब आधे घंटे में मजार को सुरक्षित तरीके से पास स्थित ईदगाह परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम लंबे समय से सड़क हादसों और यातायात बाधित होने की शिकायतों के बाद उठाया गया। जानकारी के अनुसार, एमजी रोड पर स्थित इस मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की ओर से यह शिकायत की जा रही थी कि सड़क के बीच स्थित ढांचा जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इसी को जनहित का मुद्दा मानते हुए मामला अदालत तक पहुंचा था। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने 19 जनवरी 2026 को अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर कर सड़क पर स्थित दो मजारों को हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इन ढांचों के कारण सड़क पर यातायात बाधित होता है और कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगरा के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके बाद प्रशासन ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर विस्तृत जांच कराई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि सड़क पर स्थित एक मजार के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था, जबकि दूसरी मजार से कोई विशेष समस्या नहीं थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने मजार समितियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के साथ कई दौर की बातचीत की। बैठकों के बाद संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी कि मजार को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। सहमति बनने के बाद मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान मजार को नुकसान पहुंचाए बिना उसे सावधानीपूर्वक ईदगाह परिसर में शिफ्ट किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, स्थानांतरण प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार निगरानी रखी। इस कार्रवाई के बाद एमजी रोड पर यातायात व्यवस्था सामान्य कर दी गई है।

नीट री-एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक

21 को परीक्षा,22 जून तक एप काम नहीं करेगा,मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद

नई दिल्ली,16 जून 2026। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक अस्थाई रोक लगा दी है। यह कदम संगठित नकल और साइबर धोखाधड़ी गिरोहों की अभ्यर्थियों को ठगने तथा 'पेपर लीक' की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने और उसके संदेश संपादन (मैसेज एडिटिंग) फीचर पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। एनटीए ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत जारी निर्देशों के अनुसार भारत में टेलीग्राम की पहुंच 22 जून तक सीमित रहेगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को 30 जून तक भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के संपादन की सुविधा निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसी ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी),गृह मंत्रालय, विभिन्न राज्यों की पुलिस और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) पिछले कई सप्ताह से टेलीग्राम पर सक्रिय फर्जी चैनलों, समूहों और बॉट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। एनटीए के अनुसार कई ऐसे चैनल हटाए गए, जो नीट प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की मांग कर रहे थे। बयान में कहा गया कि 'पेपर लीक नीट ', 'री-नीट 2026 ', 'प्राइवेट माफिया' और 'री नीट माफिया' जैसे नामों से संचालित चैनल कथित तौर पर पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे, जबकि परीक्षा का प्रश्नपत्र सुरक्षित परीक्षा श्रृंखला से बाहर उपलब्ध नहीं है और ऐसे सभी दावे पूरी तरह धोखाधड़ी हैं।

एनटीए ने यह भी कहा कि टेलीग्राम के संदेश संपादन फीचर का दुरुपयोग कर कुछ मामलों में परीक्षा संपन्न होने के बाद वास्तविक प्रश्नपत्र को पुराने संदेशों में जोड़कर उसे पहले से उपलब्ध होने का झूठा प्रमाण प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय के निर्देश इस तरह की फर्जी सामग्री तैयार करने की संभावना को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। एजेंसी ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जारी सार्वजनिक चेतावनी तथा अहमदाबाद साइबर क्राइम शाखा की कार्रवाई का भी उल्लेख किया। एनटीए के अनुसार अहमदाबाद में एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जो टेलीग्राम के आठ चैनलों का संचालन कर रहे थे।

एनटीए ने बताया किस वजह से टेलीग्राम पर लगाई गई रोक

एनटीए का मानना है कि परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों, अफवाहों, फर्जी सूचनाओं के प्रसार को रोकने में यह फैसला मददगार साबित होगा। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एनटीए के अनुसार, हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचनाओं और परीक्षा सामग्री के कथित प्रसार की घटनाएं सामने आई थीं। ऐसे में एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है। पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से एनटीए ने अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सूचना माध्यमों पर ही भरोसा करें तथा किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाह से बचें।

जी7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रपति ट्रम्प सहित विश्व नेताओं से मुलाकात

नई दिल्ली,16 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे विभिन्न देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की तथा समृद्धि, सतत विकास और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर जी7 नेताओं और विशेष आमंत्रित नेताओं की सामूहिक तस्वीर साझा की।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में पारिवारिक तस्वीर खिंचवाने के लिए एकत्रित हुए। यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। नीस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंच पर भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया। भारत और फ्रांस ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा अधिक समृद्ध, सतत और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि एवियन पहुंचकर उन्हें विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जी-7 देशों के नेताओं के साथ चर्चा हमेशा उपयोगी रहती है और भारत एक अधिक सतत तथा समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि जी-7 दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस,जर्मनी,इटली,जापान,ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा,जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है।

अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं,सरकार का सख्त आदेश जारी..

नई दिल्ली,16 जून 2026। केंद्र सरकार ने आम लोगों को दवाओं के दुरुपयोग से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम,1945 में बड़ा बदलाव करते हुए सभी प्रकार के सिरप को डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अब खांसी, सर्दी, बुखार या किसी भी तरह का सिरप बिना पर्चे के उपलब्ध नहीं होगा। 9 जून 2026 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में सरकार ने स्पष्ट किया कि अब सिरप की बिक्री केवल डॉक्टर की लिखित पर्ची पर ही की जाएगी। मंत्रालय ने पुराने नियमों में संशोधन करते हुए अनुसूची 'च' से 'सिरप' शब्द को हटा दिया है। इससे पहले छोटे गांवों और कम आबादी वाले इलाकों में कफ सिरप बेचने के लिए कुछ छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह छूट समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला कफ सिरप और अन्य सिरपों के दुरुपयोग को रोकने, बिक्री पर बेहतर निगरानी रखने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लिया गया है। अब सिरप की बिक्री और वितरण केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के माध्यम से ही संभव होगा। बिना पर्ची के सिरप बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले कुछ सामान्य सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल जाते थे। अब खांसी की दवा समेत सभी सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य। 1000 से कम आबादी वाले गांवों में भी बिना लाइसेंस के सिरप नहीं बिक सकेंगे। सरकार ने दवा कंपनियों, वितरकों और दवा विक्रेताओं को नए नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। यह बदलाव पूरे देश में लागू होगा और दवाओं की जिम्मेदार बिक्री सुनिश्चित करेगा। नए नियम से आम नागरिकों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेने की आदत पड़ेगी।

अभिषेक बनर्जी से सीआईडी की साढ़े 6 घंटे मैराथन पूछताछ

कोलकाता,16 जून 2026। बंगाल में चौबीस घंटे के भीतर तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को दो अलग-अलग मामलों में बड़ी जांच एजेंसियों की मैराथन पूछताछ का सामना करना पड़ा है। सोमवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की लंबी पूछताछ के बाद, मंगलवार को चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में राज्य सीआईडी ने उनसे करीब साढ़े छह घंटे तक सघन पूछताछ की। मंगलवार शाम ठीक 6 बजकर 25 मिनट पर कोलकाता के भवानी भवन (सीआईडी मुख्यालय) से बाहर निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी किसी से बात किए बिना सीधे कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के लिए रवाना हो गए, जहां वे पार्टी की एक महत्वपूर्ण और आपात बैठक में शामिल हुए। निर्धारित समयानुसार, अभिषेक बनर्जी मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे भवानी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक, इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के लिए सीआईडी ने अनुभवी अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया था। जांचकर्ताओं ने अभिषेक के बयानों और उसके पीछे के राजनीतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की थी। भवानी भवन में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से उनसे पूछताछ की और इस दौरान उनका आधिकारिक बयान भी रिकॉर्ड किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर के एक मामले की जांच के सिलसिले में भी अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के समक्ष पेश होना पड़ा था। यह पूरा विवाद हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए अभिषेक बनर्जी के गले से कई तीखे और विवादित बयान सुने गए थे। इसी दौरान उनका 'डीजे बजाने' से जुड़ा एक खास बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा में आया था। चुनावी जनसभा में अभिषेक बनर्जी की शारीरिक भाषा, बोलने का अंदाज और शब्दों का चयन पूरी तरह से उकसाने वाला था। विपक्षी कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह बयान सीधे तौर पर उनके खिलाफ एक खुली धमकी की तरह था।

इस बयान के कारण चुनावी माहौल के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था बिगडने और तनाव फैलने की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच बाद में सीआईडी को सौंप दी गई। बीते शुक्रवार को सीआईडी के अधिकारी खुद कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के 'शांतिनिकेतन' आवास पर गए थे और उन्हें 16 जून (मंगलवार) को हाजिर होने का कानूनी समन नोटिस थमाया था।

ट्रंप को ईरान का करारा जवाब! बोला- होर्मुज फ्री नहीं होगा,फीस लगेगी...

नई दिल्ली,16 जून 2026। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य, फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला रहेगा और यहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी प्रकार का टोल नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की ओर से आई नई प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। तेहरान का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है और

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर किसी प्रकार का टोल नहीं लगाएगा। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष सेवाओं के बदले शुल्क लिया जा सकता है। ईरान का तर्क है कि यह टोल नहीं बल्कि सेवा शुल्क होगा, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत वैध माना जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने टोल वसूली को नया नाम देते हुए इसे सुविधा शुल्क या सेवा शुल्क बताया है। ईरानी पक्ष का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर टोल लगाना गैरकानूनी माना जा सकता है, इसलिए वह केवल उन सेवाओं के लिए शुल्क लेने की बात कर रहा है जो जहाजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सेवाएं क्या होंगी और उनका स्वरूप कैसा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से पूरी तरह खुल चुका है और यह मार्ग टोल-मुक्त रहेगा। उन्होंने इसे अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की एक बड़ी उपलब्धि बताया था।

भारतीय निशानेबाज जसपाल राणा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ मां श्यामा देवी राणा का निधन

नई दिल्ली,16 जून 2026। भारतीय निशानेबाजी जगत से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है। देश के प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच जसपाल राणा के निधन के कुछ ही दिनों बाद उनकी मां श्यामा देवी राणा का भी देहांत हो गया। 78 वर्षीय श्यामा देवी राणा नई दिल्ली के एक आर्मी अस्पताल में उपचाराधीन थीं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा देवी राणा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नारायण सिंह राणा की पत्नी थीं। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, 12 जून को बेटे जसपाल राणा के निधन के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई थी। बेटे को खोने का गहरा सदमा वह सहन नहीं कर सकीं और आखिरकार उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दोहरे शोक ने राणा परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के चिलामू गांव से संबंध रखने वाले जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते थे। वे पिस्टल निशानेबाजों के हाई-परफॉर्मेंस कोच के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप से लौटने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।

आगरा में 250 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर

आगरा,16 जून 2026। आगरा में मंगलवार को एमजी रोड स्थित आगरा कॉलेज के सामने सड़क के बीच बनी करीब 250 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने हटवा दिया। यह कार्रवाई दोपहर लगभग एक बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शुरू की गई और करीब आधे घंटे में मजार को सुरक्षित तरीके से पास स्थित ईदगाह परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर यातायात को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम लंबे समय से सड़क हादसों और यातायात बाधित होने की शिकायतों के बाद उठाया गया।

जानकारी के अनुसार, एमजी रोड पर स्थित इस मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की ओर से यह शिकायत की जा रही थी कि सड़क के बीच स्थित ढांचा जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इसी को जनहित का मुद्दा मानते हुए मामला अदालत तक पहुंचा था। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने 19 जनवरी 2026 को अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर कर सड़क पर स्थित दो मजारों को हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इन ढांचों के कारण सड़क पर यातायात बाधित होता है और कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगरा के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके बाद प्रशासन ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर विस्तृत जांच कराई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि सड़क पर स्थित एक मजार के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था, जबकि दूसरी मजार से कोई विशेष समस्या नहीं थी। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने मजार समितियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के साथ कई दौर की बातचीत की। बैठकों के बाद संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी कि मजार को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। सहमति बनने के बाद मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान मजार को नुकसान पहुंचाए बिना उसे सावधानीपूर्वक ईदगाह परिसर में शिफ्ट किया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, स्थानांतरण प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार निगरानी रखी। इस कार्रवाई के बाद एमजी रोड पर यातायात व्यवस्था सामान्य कर दी गई है।

संपादकीय

भविष्य की दिशा में बढ़ती भारतीय रेल

पिछले दिनों पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दें और जहां निजी वाहन की जरूरत हो वहां कारपूलिंग अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा बचानी होगी। प्रधानमंत्री की अपील का जनता पर कितना असर पड़ा यह तो आने वाला समय ही बताएगा,लेकिन भारतीय रेल द्वारा विद्युतीकरण मुहिम के जरिये डीजल की बचत की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने विद्युतीकरण के जरिये 185 करोड़ किलो लीटर डीजल बचाया। यह मात्रा देश की कुल चार दिन की डीजल की मांग के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्युत कर्षण (रेल के पहियों को खींचने में लगने वाली ऊर्जा) पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में 70 प्रतिशत किफायती भी है।

उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले देश में मात्र 21,801 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने रेल विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी। तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देशन में रेल विद्युतीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करना है।

रेलवे ने यह मिशन डीजल इंजनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रेनों की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए तैयार की है। डीजल इंजनों की कार्यक्षमता काफी कम होती है और इन्हें चलाने में बहुत लागत आती है। मार्च 2026 तक रेलवे के कुल 70,175 किलोमीटर ब्राडगेज नेटवर्क में 69,906 किलोमीटर नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अर्थात कुल ब्राडगेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकृत किया जा चुका है।

अब मात्र 269 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क ऐसा है,जिसका विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। जिन राज्यों में रेल विद्युतीकरण अभी लंबित है,उनमें गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक,असम और राजस्थान शामिल हैं। गोवा में 91 प्रतिशत, तमिलनाडु में 97 प्रतिशत,कर्नाटक में 97 प्रतिशत,असम में 98 प्रतिशत, राजस्थान में 99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2014 से पहले देश में प्रतिदिन औसत 1.42 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ।

वहीं रेल विद्युतीकरण मिशन शुरू होने के बाद 2019-2025 में प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर रेललाइनों का विद्युतीकरण किया गया। 2023-24 में रेल विद्युतीकरण का रिकार्ड बना जब प्रतिदिन औसतन 19.7 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। यह परिवर्तन भारतीय रेल को अधिक तेज,स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाते हुए नए भारत की विकास रीढ़ को और मजबूत कर रहा है।

स्पष्ट है कि 1925 में बांबे वीटी (वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) और कुर्ला के बीच हार्बर लाइन पर चली पहली बिजली चालित रेलगाड़ी के 100 वर्ष बाद भारतीय रेल ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रेल विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया की कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ चुका है। जहां भारत में 96.6 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है वहीं ब्रिटेन में 39 प्रतिशत, रूस में 52 प्रतिशत और चीन में 82 प्रतिशत रेलमार्गों का ही विद्युतीकरण हो पाया है।

रेल विद्युतीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेलवे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों क इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। नवंबर 2025 तक रेलवे अपने कुल परिचालन में 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। 2014 में मात्र 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल रेलवे कर रहा था। 898 मेगावाट में से 629 मेगावाट का उपयोग रेलगाड़ियों को चलाने के लिए किया जा रहा है,जबकि 269 मेगावाट अन्य जरूरतों को पूरा करने में। इनमें स्टेशन की लाइटिंग,वर्कशाप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे क्वार्टर शामिल हैं।

वर्तमान में 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के उपाय 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

रेलवे ने हरित ऊर्जा स्रोतों को विविधीकरण करते हुए हरियाणा कजींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 10 कोच वाली ट्रेन को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदूषण काफी कम होगा। रेलवे अपने ऊर्जा स्रोतों को विविधीकृत कर रहा है। वर्तमान में रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 4,260 मेगावाट सौर और 3,427 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए समझौता किया है। इसके अलावा भी रेलवे ने 1,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अनुबंध किया है।

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड अपने सोलर पार्क से भारतीय रेलवे को सौर ऊर्जा की आपूर्ति कर रही है। इसके साथ-साथ 2025-26 में रेलवे ने 81.59 लाख पौधे लगाए,185 जल पुनर्चक्रण संयंत्र एवं 8,313 वर्षा जल संचयन संरचनाएं भी स्थापित किए। इस प्रकार भारतीय रेल पर्यावरण संरक्षण में मौन क्रांति ला रहा है।

बालासाहब देवरस : समाज एवं देशसेवा को जीवन समर्पित

हेमेन्द्र क्षीरसागर
बालाघाट,मध्यप्रदेश

बालासाहब देवरस का बाला साहब नाम उन्हें उनके परिवार और करीबी लोगों द्वारा प्यार से दिया गया एक उपनाम था,जो उनके वास्तविक नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरस के साथ जुड़ या। बाला साहब एक लोकप्रिय मराठी शब्द है जिसका उपयोग छोटे लड़कों या प्रियजनों के लिए किया जाता है। यह उनके मिलनसार और स्नेही स्वभाव को दर्शाता है। 11 दिसम्बर 1915 को नागपुर में जन्मे बाला साहब देवरस पार्वती बाई-कृष्णराव देवरस की आठवीं संतान थे। 1925 में बालसाहेब ने शाखा जाना प्रारम्भ कर दिया। स्थायी रूप से उनका परिवार मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के आमगांव के निकटवर्ती ग्राम कारंजा का था। अभीष्ट, बाला साहब की स्मृतियां, सेवा और आयाम से प्रतिबद्ध पावन भूमि में बाल-भाऊ देवरस न्यास संचालित है। न्यास आर्थिक विकास,खेती प्रचार व प्रशिक्षण,महिला बचत गट प्रशिक्षण केंद्र, फलोद्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम, दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अरोग्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन जनकल्याण के निहितार्थ करता है।

अनुपम सरस्वती शिशु मंदिर दौरान, उनकी सम्पूर्ण शिक्षा नागपुर में ही हुई। न्यू इंगलिश स्कूल मे उनकी प्रारम्भिक शिक्षा हुई। संस्कृत और दर्शनशास्त्र विषय लेकर मौरिस कालेज से बालसाहेब ने 1935 में बीए किया। दो वर्ष बाद उन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की। विधि स्नातक बनने के बाद बालसाहेब ने दो वर्ष तक अनाथ विद्यार्थी बस्ती गृह मे अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्हें नागपुर मे नगर कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया। 1965 में उन्हें सरकार्यवाह का दायित्व

सौंपा गया जो 6 जून 1973 तक उनके पास रहा। श्री गुरूजी के स्वर्गवास के बाद 6 जून 1973 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सर संघचालक के दायित्व को ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में संघ कार्य को नई दिशा मिली। उन्होंने सेवाकार्य पर बल दिया परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वांचल सहित देश के वनवासी क्षेत्रों के हजारों की संख्या में सेवाकार्य आरम्भ हुए। बालासाहब देवरस ने अपना जीवन समाज एवं देशसेवा को समर्पित कर दिया था। शिक्षा क्षेत्र में सबसे अग्रणी सरस्वती शिशु मंदिर योजना बालासाहब देवरस की ही अनुपम देन है।

प्रसिद्धि से दूरी की वृत्ति समर्पित, डाक्टर जी का स्वास्थ्य अधिक खराब होने के चलते बालासाहब को 1940 में कलकत्ता से वापस बुला लिया गया । देशभर के विभिन्न स्थानों पर प्रचारक भेजने की जिम्मेदारी नागपुर शाखा की ही सर्वाधिक रहती थी। स्वयंसेवक को उस हेतु गढ़ना,किसे कहाँ भेजना यह जिम्मेदारी बाला साहब उत्तम रीति से संभालते थे। डाक्टर जी के निर्देश पर 1937 से 1940 के बीच गुरूजी संघ कार्य में पूरी तरह डूब गए थे। शाखा पर होने वाले गणगीत, प्रश्नोत्तर आदि की उन्होंने ही शुरुआत की। संघ के कार्यक्रमों में मां भारती,डां हेडगेवार तथा श्री गुरुजी के चित्र लगते हैं। बालासाहब के 1973 में संघ के तीसरे सर संघचालक बनने के बाद कुछ लोग उनका चित्र भी लगाने लगे पर उन्होंने इसे रोक दिया। यह उनकी प्रसिद्धि से दूर रहने की वृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है।

संघ कार्य में नये आयाम साहसं, 1975 में संघ पर लगे प्रतिबन्ध का सामना उन्होंने धैर्य से किया। वे आपातकाल के पूरे समय पुणे की जेल में रहे;पर सत्याग्रह और फिर चुनाव के माध्यम से देश को इन्दिरा गांधी की तानाशाही से मुक्त कराने की इस चुनौती में संघ सफल हुआ। मधुमेह रोग के बावजूद 1994 तक उन्होंने यह दायित्व निभाया। इस दौरान उन्होंने संघ कार्य में अनेक नये आयाम जोड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्धन बस्तियों में चलने वाले सेवा के कार्य हैं। इससे वहाँ चल रही धर्मान्तरण की प्रक्रिया पर रोक लगी। स्वयंसेवकों द्वारा प्रान्तीय स्तर पर अनेक संगठनों की स्थापना की गई। बालासाहब ने वरिष्ठ प्रचारक देकर उन सबको अखिल भारतीय रूप दे दिया। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 1994 में सर संघचालक का दायित्व त्याग दिया था। अपूरणीय, बाला साहब देवरस का 17 जून 1996 को स्वर्गारोहण हुआ। प्रथम और द्वितीय सर संघचालकों का दाहसंस्कार स्वयं सेवकों ने नागपुर के रेशमबाग संघ कार्यालय में किया था। बालासाहब ने स्पष्ट कहा था कि उनका अंतिम संस्कार सामान्य व्यक्ति की भांति श्मशान में किया जाए और उनकी समाधि न बनाई जाए। उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र शब्दांजलि! साभार जीवन प्रसंग!

25 जून : इतिहास का काला दिन जब इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल..!

रामबाबू अग्रवाल इंदौर,मध्यप्रदेश

भारत में 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए उठाया गया कदम था, जो ऐतिहासिक मुकदमों और जन आंदोलनों की परिणति थी और यह दिन इतिहास में तानाशाही के काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ । उल्लेखनीय है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और भ्रष्ट हथकंडे अपनाए .मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट का फैसला 12 जून 1975 को आया जिसमें जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और अगले 6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इस संकट से बचने के लिए इंदिरा सरकार ने 39वां संविधान संशोधन पारित किया,जिसके तहत प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया.वैसे (हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही विपक्षी दलों और छात्रों ने जयप्रकाश नारायण लोकनायक जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने की मांग की और पुलिस व सेना से असंवैधानिक आदेश न मानने की अपील की इस आंदोलन ने पूरे देश में इंदिरा सरकार के खिलाफ असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया, जिससे ही घबराकर आपातकाल लगाया गया) जिसका मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला और जेपी के आंदोलन से पैदा हुए राजनीतिक संकट था, इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 की रात को अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी,क्योंकि जस्टिस सिन्हा ने अपने फ़ैसले में रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के साथ ही उन्हें छह वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया था. 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ़ैसले पर मुहर लगा दी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी थी। वह लोकसभा में जा सकती थीं लेकिन वोट नहीं कर सकती थीं। इसके बाद 25 जून 1975 को लागू आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर सख्त

सेंसरशिप लगा दी गई और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया । जेपी,मोरारजी देसाई और एल.के. आडवाणी सहित एक लाख से ज्यादा विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। फर्नांडीस समाजवादी ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे. 1974 में उन्होंने ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था,जिसे इंदिरा सरकार ने बहुत बेरहमी से कुचल दिया था। आपातकाल के दौरान प्रमुख नेताओं को मीसा जैसे कानूनों के तहत जेल में डाल दिया गया क्योंकि वे सरकार के सबसे मुखर आलोचक थे। भोपाल जेल में बंद समाजवादी नेता मधु लिमये थे ।

जयप्रकाश नारायण,अटलबिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी,राजनारायण,मोरारजी देसाई, चन्द्रशेखरजी आदि। नेतागण गिरफ्तार किये गये। हमारे साथ इंदौर जिला जेल में श्री के.सी. सुदर्शन एवं कुशाभाऊ ठाकरे, मामा बालेश्वर दयाल जी को भी लाया गया। इंदौर जिला जेल से ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा,श्री कैलाश जोशी,एवं सुंदर लाल जी पटवा,बैरिस्टर त्रिवेदी,नीमच के कन्हैयालाल डूंगर वाल,श्री शरद यादव,श्री रघु ठाकुर एवं भेरूलाल पाटीदार को भी इंदौर जिला जेल में लाया गया। इंदौर जिला जेल से श्री कुशाल भाऊ ठाकरे जी को बेगमगंज खुली जेल भेज दिया गया। सुश्री उमा भारती को जब वह 14 साल की थी और उनके भाई के साथ इंदौर में गीता भवन में प्रवचन के लिए आई थी तो मुझे उनको मोटरसाइकिल पर जिला जेल किसी से मिलने के लिए कपड़े बदलकर ले जाना पड़ा। जब चुनाव की घोषणा हुई और जेल से मीसाबंदी छूटने लगे तो मुझे ठाकरे जी का मैसेज मिला और मैने उनसे जाकर खुली जेल में मुलाकात की रात उनके साथ गुजर कर स्वर्गीय मधुलीमियजी जी तक मैसेज पहुंचा।

गूंजा था नारा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है । कोर्ट के फैसले बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा से गद्दी छोड़ने को कहा. 25 जून 1975 की शाम को नई दिल्ली के रामलीला मैदान का नजारा देखने लायक था उस जगह एक साथ इतने लोग कभी नहीं जुटे थे.यही वो जगह थी जब जेपी ने बुलंद आवाज में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर पंक्तियां कहीं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है...उस रैली को मोरारजी देसाई,अटल बिहार वाजपेयी,चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने भी संबाधित किया। जेपी ने यहीं से इंदिरा से कुर्सी छोड़ने को कहा जेपी ने सेना और पुलिस से असंवैधानिक और अनैतिक आदेश मानने से इनकार करने का आह्वान किया,जार्ज फर्नांडीस के नेतृत्व में पूरे देश में मजदूर आंदोलन चरम पर था,उन पर बड़ौदा डायनामाइट कांड का आरोप भी लगाया गया,जार्ज फर्नांडीस भूमिगत रहकर पूरे देश में तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे।

रैली की गूंज ने इंदिरा को किया था मजबूर

रामलीला मैदान की वो रैली इतनी विशाल थी कि उसकी गूंज प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच रही थी यह रैली रात 9 बजे खत्म हुई,तबतक इंदिरा समझ चुकी थीं कि माहौल उनके खिलाफ हो चुका है। कोई और रास्ता न देख मजबूरी में उन्होंने आपातकाल लगाने का फैसला किया । आधी रात से थोड़ी देर पहले,राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपतकाल की घोषणा की । अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। विपक्ष के नेता हिरासत में ले लिए गए। 26 जून की सुबह इंदिरा ने रेडियो पर आपातकाल की जानकारी दी। 28 जून को अखबारों ने पन्ने खाली छोड़कर विरोध जताया। इसके बाद अगले 21 महीनों तक कई दमनकारी कदम उठाए गए। जनवरी 1977 में इंदिरा ने चुनाव कराने का फैसला किया। कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी। जनता पार्टी का गठबंधन 345 सीटें जीतकर सत्ता में आ गया। आखिकार 21 मार्च, 1977 को आधिकारिक रूप से आपातकाल हटा लिया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 34981 लोगों को मीसा के तहत बिना मुकदमे के बंदी बनाया गया था। इसके अलावा 75818 लोगों को डी आई आर/आई एसआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया। जिस तरह इंदौर जिला जेल में श्री सुदर्शन जी आदि प्रतिदिन शाखा में लगते थे,इसी तरह पूरे देश की जेलों में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के आरएसएस के साथी गण प्यारे लाल जी खंडेलवाल, मेघराज जी जैन, कृष्ण मुरारी मोघे छत्तीसगढ़ राजस्थान के भी संघ प्रचारक लोग जेल में कार्य कर्ताओं को ऊर्जावान रखने का कार्य करते थे ।

डिजिटल होमवर्क का दिखावा और बचपन पर बढ़ता बोझ

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी, हरियाणा

कोरोना महामारी ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद होने पर ऑनलाइन शिक्षा एक मजबूरी थी। उस समय मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप,गूगल क्लासरूम और अन्य डिजिटल माध्यम बच्चों की पढ़ाई का एकमात्र सहारा बन गए थे। समाज ने भी परिस्थितियों को देखते हुए इसे स्वीकार किया। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब महामारी समाप्त होने के बाद भी अनेक विद्यालयों ने उसी अस्थायी व्यवस्था को स्थायी संस्कृति बना दिया। आज स्थिति यह है कि अधिकांश निजी विद्यालय बच्चों की डायरी में गृहकार्य लिखवाने की परंपरा लगभग समाप्त कर चुके हैं और होमवर्क,प्रोजेक्ट,नोटिस,छुट्टियों का कार्य तथा अन्य सूचनाएं सीधे व्हाट्सऐप समूहों या मोबाइल एप्स के माध्यम से भेजी जा रही हैं।

पहली नजर में यह व्यवस्था आधुनिक और सुविधाजनक दिखाई देती है, लेकिन यदि इसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रभावों का गंभीर विश्लेषण किया जाए तो तस्वीर चिंताजनक नजर आती है। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा वास्तव में आसान हुई है या फिर हम आधुनिकता के नाम पर बच्चों को समय से पहले मोबाइल संस्कृति का हिस्सा बना रहे हैं?

पहले विद्यालयों में बच्चे अपनी डायरी में स्वयं गृहकार्य नोट करते थे। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती थी। वे यह सीखते थे कि शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुनना,उसे लिखना और समय पर पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब यह जिम्मेदारी बच्चे से हटकर मोबाइल फोन पर स्थानांतरित हो गई है। बच्चा जानता है कि चाहे वह कक्षा में ध्यान दे या न दे, गृहकार्य तो शाम को व्हाट्सऐप पर आ ही जाएगा। परिणामस्वरूप उसकी एकाग्रता और उत्तरदायित्व दोनों प्रभावित होते हैं।

इस व्यवस्था का दूसरा बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि विद्यालय अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को मोबाइल फोन के उपयोग का अधिकार दे रहे हैं। जब होमवर्क देखने के लिए मोबाइल आवश्यक बना दिया जाता है, तब बच्चे के पास यह तर्क आ जाता है कि उसे पढ़ाई के लिए फोन चाहिए। धीरे-धीरे यही फोन मनोरंजन, गेम,सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियों का माध्यम बन जाता है। जिन अभिभावकों ने अब तक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा था, वे भी मजबूरी में उन्हें फोन उपलब्ध कराने लगते हैं। भारत जैसे देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां प्रत्येक सदस्य के पास अलग मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है। कई घरों में एक ही फोन होता है,जिसे परिवार के कमाने वाले सदस्य अपने साथ कार्यस्थल पर ले जाते हैं। ऐसे में यदि स्कूल का गृहकार्य उसी फोन पर भेजा गया हो और फोन घर पर उपलब्ध न हो,तो बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है। क्या यह व्यवस्था वास्तव में समावेशी शिक्षा कहलाएगी? शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों तक समान अवसर पहुंचाना है, लेकिन डिजिटल निर्भरता कहीं न कहीं आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ा रही है। गर्मी की छुट्टियों का कार्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले

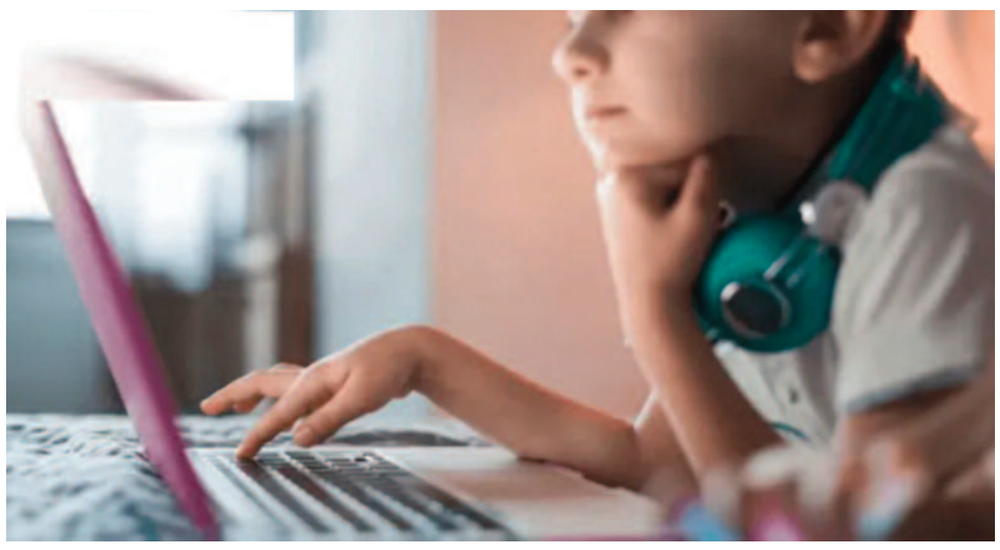

छुट्टियों से पहले विद्यालय बच्चों को कार्य-पुस्तिका या लिखित निर्देश दे देते थे। अब कई स्कूल सैकड़ों पन्नों का कार्य व्हाट्सऐप पर पीडीएफ के रूप में भेज देते हैं। अभिभावकों को मजबूरन साइबर कैफे या फोटोस्टेट की दुकानों पर जाकर प्रिंट निकलवाने पड़ते हैं। कई बार इस पर दो सौ,तीन सौ या उससे भी अधिक रुपये खर्च हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि यदि अंततः कार्य कागज पर ही करना है, तो विद्यालय स्वयं वह सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं कराते? क्या यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ अभिभावकों पर डालना उचित है?

डिजिटल होमवर्क की संस्कृति का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब बच्चा पढ़ाई के नाम पर बार-बार मोबाइल फोन का उपयोग करता है,तो उसके भीतर स्क्रीन के प्रति आकर्षण बढ़ता है। शोध बताते हैं कि कम उम्र में अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। विद्यालय जहां बच्चों को अनुशासन और संतुलित जीवन शैली सिखाने के केंद्र माने जाते हैं, वहीं वे स्वयं अनजाने में मोबाइल निर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं।

एक अन्य गंभीर समस्या गोपनीयता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। कक्षा के व्हाट्सएप समूहों में अक्सर सभी अभिभावकों के मोबाइल नंबर एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं। कई बार बड़े बच्चों के समूहों में छात्र-छात्राओं के व्यक्तिगत संपर्क बढ़ने लगते हैं। यह कहना गलत होगा कि हर संपर्क नकारात्मक होता है, लेकिन कम उम्र में अनियंत्रित डिजिटल संवाद बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा सकता है, जिनसे वे मानसिक रूप से निपटने के लिए तैयार नहीं होते। चैटिंग, सोशल मीडिया मित्रता, फर्जी पहचान और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में विद्यालयों को केवल तकनीक अपनाने के बजाय उसके सामाजिक प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए।

विडंबना यह है कि आधुनिकता की इस दौड़ में हम मूल शिक्षा के उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। आज बच्चे तकनीकी उपकरण चलाना तो सीख रहे हैं, लेकिन जीवन कौशल,लेखन क्षमता,आत्म-अनुशासन और व्यवहारिक समझ जैसे गुण अपेक्षाकृत कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हस्तलेखन की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। नोट्स तैयार करने की आदत कम होती जा रही है। याद रखने की क्षमता की जगह फोन में देख लेंगे वाली मानसिकता विकसित हो रही है।

यह भी देखने में आता है कि अनेक विद्यालय डिजिटल माध्यमों को अपनी आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं। अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए मोबाइल एप, ऑनलाइन नोटिस और डिजिटल होमवर्क को उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि विद्यालय कितना आधुनिक दिखता है, बल्कि यह है कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में कितना योगदान दे रहा है। यदि आधुनिकता बच्चों को मोबाइल पर निर्भर बना रही है, तो उस आधुनिकता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

निश्चित रूप से तकनीक का विरोध नहीं किया जा सकता। तकनीक आज की आवश्यकता है और शिक्षा में उसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। लेकिन तकनीक का उपयोग सहायक साधन के रूप में होना चाहिए, विकल्प के रूप में नहीं। यदि किसी दिन डिजिटल माध्यम उपलब्ध न हो, तब भी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। विद्यालयों को डायरी लेखन की परंपरा पुनः शुरू करनी चाहिए। गृहकार्य कक्षा में स्पष्ट रूप से बताया और नोट करवाया जाना चाहिए। डिजिटल माध्यम केवल अतिरिक्त सुविधा के रूप में इस्तेमाल किए जाएं,न कि अनिवार्य माध्यम के रूप में।

इसके अलावा विद्यालयों को छुट्टियों के कार्य के लिए मुद्रित सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। यदि डिजिटल सामग्री भेजी भी जाए तो उसके साथ कम खर्च वाले विकल्प भी दिए जाएं। अभिभावकों और बच्चों को स्क्रीन टाइम के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग सिखाना होना चाहिए, न कि उन्हें तकनीक का गुलाम बनाना।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा में आधुनिकता और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करें। विद्यालयों को यह समझना होगा कि हर परिवार की परिस्थितियां समान नहीं होतीं। हर बच्चे के पास व्यक्तिगत मोबाइल उपलब्ध नहीं है। हर अभिभावक डिजिटल संसाधनों का विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जो तकनीक का लाभ भी दे और बच्चों के बचपन, अनुशासन तथा अध्ययन की स्वाभाविक प्रक्रिया को भी सुरक्षित रखे। कोरोना काल की मजबूरी को स्थायी संस्कृति बनाना शिक्षा के हित में नहीं है। यदि हम सचमुच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं,तो दिखावटी आधुनिकता से आगे बढ़कर बच्चों की वास्तविक जरूरतों को समझना होगा। अन्यथा हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जो उपकरणों को तो अच्छी तरह चलाना जानती होगी, लेकिन आत्मनिर्भर अध्ययन,जिम्मेदारी और जीवन कौशल जैसे मूल गुणों से दूर होती चली जाएगी। शिक्षा का लक्ष्य केवल आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि सक्षम, संस्कारी और संतुलित नागरिक तैयार करना है।

अथाह श्रद्धा,विस्तृत प्रेम

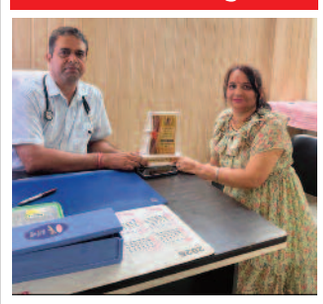

गरिमा राकेश गौत्तम
कोटा,राजस्थान

कभी कभी
सोच में आता था कि
श्रद्धा प्रेम पर भारी तो नही हो रही
प्रेम अणु ,श्रद्धा गरिमा तो नही हो रही
पर आज के रात्रि स्वप्नन से
सब भ्रम पानी की बूँदों से छिटक गए
जितनी अथाह श्रद्धा है
उतना ही विस्तृत प्रेम है
ना श्रद्धा के नीरधि का नीर
वाष्प बन शुष्क हों सकता हैं
ना विस्तृत व्योम सा प्रेम
सूक्ष्म हो सकता हैं
हा नीरधि और व्योम के मध्य
मेरा अस्तित्व
अपने भाग की दो पग मही खोजता
हुआ लड़खड़ाते कदमों से कभी
नीरधि के चरण स्पर्श करता हैं
कभी व्योम की
विस्तृत बाहों में सिमट
अणिमा से ईशत्व प्राप्ति
की ओर चलता हैं

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

सुपरमैन रंजीत गुप्ता की वापसी! 24 घंटे में कैरियर से सप्लायर तक पहुंची आबकारी टीम,लेकिन क्या अब पूरे नशीले इंजेक्शन नेटवर्क का होगा खुलासा?

कल उठा था सवाल...आज मिली कार्रवाई की बड़ी मिसाल...वाहिद अंसारी के बयान पर मोशीम अंसारी गिरफ्तार,4 लाख के इंजेक्शन जब्त,फिर भी जांच की असली परीक्षा बाकी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने एक ऐसी कार्रवाई की है,जिसने एक दिन पहले उठ रहे तमाम सवालों को नई दिशा दे दी है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता,जिन्हें आबकारी विभाग का 'सुपरमैन' भी कहा जाता है,की टीम ने पहले 200 नशीले इंजेक्शनों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर उसके बयान के आधार पर महज 24 घंटे के भीतर कथित सप्लायर तक पहुंचकर 400 और नशीले इंजेक्शन बरामद कर लिए। यह कार्रवाई निश्चित रूप से बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या यह गिरफ्तारी नशे के कारोबार की जड़ तक पहुंचने की शुरुआत है या फिर जांच एक बार फिर कुछ गिरफ्तारियों के बाद ठंडी पड़ जाएगी?

जब सुपरमैन पर उठने लगे थे सवाल...

पिछले कुछ महीनों में संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम द्वारा नशीले इंजेक्शनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई थी। कई आरोपी जेल भेजे गए, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां जब्त हुईं और विभाग ने दावा किया कि नशे के कारोबार पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहे थे कि यदि नेटवर्क खत्म हो चुका है तो बार-बार इतनी बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन आखिर कहां से आ रहे हैं? कुछ दिनों से आबकारी विभाग के 'सुपरमैन' कहे जाने वाले रंजीत गुप्ता की सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं थीं। आलोचकों का कहना था कि बड़े सप्लायर अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं और कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं तक सीमित है। इन्हीं सवालों के बीच 14 जून की रात हुई कार्रवाई ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।

सरना मैदान में पकड़ा गया वाहिद अंसारी

14 जून की रात गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित सरना मैदान में आबकारी उड़नदस्ता टीम ने एक संदिग्ध स्कूटी सवार को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम वाहिद अंसारी बताया। तलाशी के दौरान उसके बैग से 100 नग REXOGESIC और 100 नग AVIL इंजेक्शन बरामद किए गए। दोनों इंजेक्शन लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में इस्तेमाल होने के आरोपों के कारण जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पूछताछ में खुला राज... सप्लायर तक पहुंची टीम

वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुई। आबकारी विभाग के अनुसार आरोपी ने अपने बयान में बताया कि वह इंजेक्शन इमलीपारा क्षेत्र में शमशुद्दोहा हॉस्पिटल के सामने दुकान संचालित करने वाले मोशीम अंसारी से खरीदकर लाया था। इसके बाद सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता टीम ने बिना समय गंवाए मोशीम अंसारी की दुकान पर छापा मारा। दुकान की तलाशी के दौरान काउंटर के नीचे रखे सफेद रंग के झोले से 200 नग REXOGESIC और 200 नग AVIL इंजेक्शन बरामद किए गए। कुल 400 इंजेक्शनों की बरामदगी के बाद आबकारी विभाग ने इनकी कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई है। मोशीम अंसारी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) और 29 के तहत गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

एक दिन पहले जो सवाल था...आज उसका जवाब मिला

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही यह सवाल उठाया जा रहा था कि क्या आबकारी विभाग केवल वाहिद अंसारी को पकड़कर अपनी कार्रवाई पूरी मान लेगा या फिर उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगा जिसने उसे माल उपलब्ध कराया। अब विभाग ने मोशीम अंसारी की गिरफ्तारी कर यह साबित करने का प्रयास किया है कि कार्रवाई केवल कैरियर तक सीमित नहीं है। यानी जिस सवाल के केंद्र में 'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता थे,उसी सवाल का जवाब उनकी टीम ने अगले ही दिन कार्रवाई के माध्यम से देने की कोशिश की है।

लेकिन क्या मोशीम अंसारी ही आखिरी कड़ी है? यहीं से जांच का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। किसी भी नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार में केवल एक सप्लायर होने की संभावना कम होती है। सामान्यतः इसके पीछे निर्माता, थोक विक्रेता, मेडिकल एजेंसी, वितरणकर्ता और स्थानीय नेटवर्क की कई परतें होती हैं। मोशीम अंसारी तक पहुंचना एक उपलब्धि है, लेकिन यह जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसे माल कहां से मिला।

- क्या उसके पास वैध खरीद के दस्तावेज हैं?
- क्या इंजेक्शन किसी मेडिकल एजेंसी से खरीदे गए?
- क्या कोई लाइसेंसधारी चैनल अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहा है?

इन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है।

50 से अधिक प्रकरण...फिर भी कारोबार जारी क्यों?

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के अनुसार पिछले एक वर्ष में संभागीय उड़नदस्ता टीम नशीली दवाओं के खिलाफ 50 से अधिक प्रकरण दर्ज कर चुकी है। यह आंकड़ा विभाग की सक्रियता को दर्शाता है,लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। यदि लगातार कार्रवाई के बाद भी बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन पकड़े जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं सप्लाई नेटवर्क अब भी सक्रिय है।

क्या ड्रग विभाग भी आएगा मैदान में?

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यदि इंजेक्शन वैध दवा आपूर्ति तंत्र से निकलकर अवैध बाजार तक पहुंचे हैं तो केवल आबकारी विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। औषधि प्रशासन विभाग,स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कहीं किसी स्तर पर लाइसेंसधारी संस्थान या एजेंसी की भूमिका तो नहीं है।

बैच नंबर खोल सकते हैं पूरा राज

विशेषज्ञों के अनुसार REXOGESIC और AVIL जैसे इंजेक्शनों पर अंकित बैच नंबर इस पूरे मामले की कुंजी साबित हो सकते हैं।

इन्हीं नंबरों के आधार पर पता लगाया जा सकता है...

- इंजेक्शन किस कंपनी ने बनाए?
- किस स्टॉकिस्ट को भेजे गए?
- किस एजेंसी ने खरीदे?
- किस मेडिकल दुकान तक पहुंचे?
- और अंततः अवैध बाजार में कैसे पहुंचे?

यदि आबकारी विभाग और ड्रग विभाग संयुक्त रूप से जांच करें तो इस नेटवर्क की कई परतें खुल सकती हैं।

जनता के मन में अब भी बाकी हैं ये सवाल

- क्या बरामद इंजेक्शनों के बैच नंबर की जांच होगी?
- मोशीम अंसारी तक माल किसने पहुंचाया?
- क्या मेडिकल एजेंसी और स्टॉकिस्ट की भूमिका की जांच होगी?
- क्या ड्रग विभाग को शामिल किया जाएगा?
- क्या वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की पड़ताल होगी?
- क्या इस नेटवर्क में और गिरफ्तारियां होंगी?

जबकि सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता की टीम ने इस कार्रवाई से यह जरूर साबित किया है कि वह केवल सड़क स्तर के विक्रेताओं तक सीमित रहने के बजाय सप्लायर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसे 'सुपरमैन की वापसी' कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

लेकिन नशे के खिलाफ असली जीत तब मानी जाएगी जब इंजेक्शन की हर शीशी का स्रोत सामने आए,सप्लाई चेन की हर कड़ी बेनकाब हो और उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो पर्दे के पीछे रहकर इस कारोबार को संचालित कर रहे हैं। फिलहाल मोशीम अंसारी की गिरफ्तारी ने जांच को एक कदम आगे बढ़ाया है। अब सरगुजा की जनता की नजर इस पर है कि क्या सुपरमैन रंजीत गुप्ता इस बार केवल सप्लायर तक ही नहीं,बल्कि पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएंगे या नहीं।

भुगतान और फर्जी केसीसी विवाद पर उबल रहा किसान आक्रोश,17 जून से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

-संवाददाता-
रामानुजगंज,16 जून 2026
(घटती-घटना)।

धान बिक्री की बकाया राशि के भुगतान और कथित फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरण को लेकर किसानों का आक्रोश अब आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र के पीड़ित किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए 17 जून से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), थाना प्रभारी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की रामानुजगंज शाखा प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर अपनी दो प्रमुख मांगों के संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि 9 जून 2026 को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। किसानों के अनुसार वर्ष 2025-26 में धान बिक्री के बाद भी अनेक किसानों को भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। वहीं फर्जी केसीसी प्रकरण में भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों और ज्ञापनों के बावजूद मामले का समाधान नहीं किया गया।

किसानों की प्रमुख मांगें...

- वर्ष 2025-26 में धान बिक्री की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।
- किसानों के नाम पर दर्ज कथित फर्जी केसीसी मामलों को समाप्त किया जाए।
- किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 17 जून 2026 को सुबह 10 बजे से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की रामानुजगंज शाखा के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता।

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

किसानों का कहना है कि ज्ञापन सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद भी न तो भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने आई है और न ही फर्जी केसीसी प्रकरण पर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। ऐसे में किसानों का धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। आंदोलन की घोषणा के साथ अब निगाहें प्रशासन और बैंक प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन क्षेत्र में व्यापक किसान असंतोष का कारण बन सकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि धरना-प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

रिपोर्ट करने की मिली सजा? पहले मारपीट,फिर शिकायतकर्ता को घेरकर बेल्ट-रॉड से हमला...आदतन आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने राहुल सिंह को भेजा जेल,पहले से दर्ज है आपराधिक मामला...कानून का डर खत्म होने पर उठा सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर के मायापुर क्षेत्र में एक युवक को पुलिस में शिकायत करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि पहले मारपीट का शिकार बने युवक ने जब थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई तो आरोपी इस कदर नाराज हो गया कि अपने साथी के साथ मिलकर दोबारा रास्ता रोक लिया और शिकायत वापस लेने के दबाव में उसके साथ गाली-गलौज,मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कुछ असामाजिक तत्वों में कानून का भय इतना कम क्यों होता जा रहा है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी वे खुलेआम पीड़ितों को निशाना बनाने से नहीं डरते।

पहले मारपीट,फिर शिकायत पर भड़का आरोपी : पुलिस के अनुसार मायापुर निवासी 25 वर्षीय आकाश जायसवाल ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 मई 2026 को राहुल सिंह ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की थी। इस घटना की रिपोर्ट उसने 17 मई को थाना कोतवाली में दर्ज कराई। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब आकाश अपने घर लौट रहा था,तभी चांदनी चौक के पास

शास्त्री ऑटो के नजदीक राहुल सिंह अपने साथी गोलू पंडित के साथ पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने पहले अश्लील गाली-गलौज की,फिर जान से मारने की धमकी देते हुए बेल्ट, रॉड और हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी राहुल सिंह ने कथित रूप से पीड़ित के हाथ में दांत से काट लिया। हमले में युवक को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।

क्या शिकायतकर्ता सुरक्षित हैं? घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पहली घटना की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद भी आरोपी का हौसला कम नहीं हुआ। उल्टा शिकायतकर्ता को ही निशाना बनाया गया। यह स्थिति कानून-व्यवस्था को लेकर कई प्रश्न खड़े करती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करता तो आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ दूसरा अपराध दर्ज किया और गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

पहले से दर्ज है आपराधिक रिकॉर्ड : पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में पहले से भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 318/2026 के तहत मामला पंजीबद्ध है। यही कारण है कि पुलिस ने उसे आदतन अपराधी मानते हुए सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी द्वारा बार-बार अपराध किए जाने की प्रवृत्ति सामने आई है, जिसके चलते उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई।

घर में दबिश देकर पकड़ा गया आरोपी : मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने मायापुर चांदनी चौक स्थित उसके निवास पर दबिश देकर घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय राहुल सिंह पिता विनोद सिंह निवासी मायापुर चांदनी चौक के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

बढ़ती गुंडागर्दी पर चिंता : शहर में लगातार सामने आ रही मारपीट और धमकी की घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। खासकर ऐसे मामलों में जहां आरोपी शिकायत दर्ज होने के बाद भी पीड़ित को निशाना बनाते हैं, वहां कानून के प्रति सम्मान और पुलिस कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे आदतन अपराधियों पर प्रभावी निगरानी और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया भी जरूरी है ताकि वे दोबारा अपराध करने से बचें।

जनता के मन में सवाल

- यदि आरोपी के खिलाफ पहले से मामला दर्ज था तो उसकी गतिविधियों पर निगरानी क्यों नहीं थी?
- शिकायत दर्ज होने के कुछ घंटों बाद ही पीड़ित पर दोबारा हमला कैसे हो गया?
- फरार साथी गोलू पंडित के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
- क्या ऐसे आदतन आरोपियों की सूची बनाकर विशेष निगरानी की जा रही है?

फिलहाल कोतवाली पुलिस की कार्रवाई से मुख्य आरोपी जेल पहुंच गया है, लेकिन यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि अपराधियों के मन में कानून का भय बनाए रखना केवल गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि लगातार और प्रभावी कानूनी कार्रवाई से ही संभव है।

24 डिसमिल का सौदा, 3.14 एकड़ की रजिस्ट्री! आखिर कैसे पूरी जमीन हो गई ऑनलाइन ट्रांसफर?

सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. अकील अहमद अंसारी की पहल के बाद कलेक्टर ने दिए FIR के निर्देश, फर्जी विक्रय पत्र की जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम भिड्डीकला में एक विधवा महिला की जमीन के कथित फर्जी विक्रय का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी के लगातार प्रयासों और पीड़िता की शिकायत के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मामला ग्राम भिड्डीकला,महुआटिकरा निवासी सावित्री यादव की भूमि से जुड़ा है।

सावित्री यादव ने प्रशासन को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी खसरा क्रमांक 782,783 और 790 की कुल 1.271 हेक्टेयर (करीब 3.14 एकड़) भूमि में से केवल 24 डिसमिल जमीन का सौदा रायपुर निवासी पुष्पा अग्रवाल के साथ 3 लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से 72 लाख रुपये में तय हुआ था। लेकिन कथित रूप से षड्यंत्र कर उनकी पूरी भूमि का विक्रय पत्र तैयार कर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज करा लिया गया।

जांच में शिकायत सही मिलने के संकेत : तहसीलदार और एसडीएम (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा की गई जांच, मौका निरीक्षण और पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि विक्रय के लिए सीमित भूमि पर सहमति थी, जबकि रिकॉर्ड में पूरी भूमि का विक्रय दर्ज हो गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर माना है।

कलेक्टर ने एफआईआर के दिए निर्देश : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने तहसीलदार अंबिकापुर को निर्देशित किया है कि कथित कूटरचित विक्रय पत्र और भूमि हस्तांतरण में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिताकी प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। निर्देश में रायपुर निवासी पुष्पा अग्रवाल,सागर विश्वकर्मा,डोमन राजवाड़े, जीतन विश्वकर्मा,आशीष उर्फ बाबा तथा दस्तावेज लेखक कमर कादरी के नाम शामिल बताए गए हैं। प्रशासन ने मामले में वैधानिक कार्रवाई कर तत्काल पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को भी कहा है।

सबसे बड़ा सवालः ऑनलाइन प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई?

मामले ने भूमि पंजीयन और ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि सौदा केवल 24 डिसमिल का था तो पूरी 1.271 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किस स्तर पर और किन दस्तावेजों के आधार पर दर्ज हुआ? क्या दस्तावेजों की जांच में लापरवाही हुई या फिर सुनियोजित तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया?

पीड़िता को न्याय की जगी उम्मीद

लंबे समय से अपनी जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही सावित्री यादव को अब प्रशासनिक कार्रवाई के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता प्रो. अकील अहमद अंसारी ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की जमीनों पर होने वाले कथित फर्जीवाड़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब पूरे मामले में पुलिस जांच और एफआईआर के बाद यह स्पष्ट होगा कि कथित भूमि फर्जीवाड़े के पीछे किन लोगों की भूमिका रही और ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया में हुई इस बड़ी चूक की जिम्मेदारी किसकी है।

राजीव गांधी महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू,16 जून को जारी हुई मेरिट सूची

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026
(घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। स्नातक प्रथम वर्ष की विभिन्न कक्षाओं के लिए पहली मेरिट सूची 16 जून को जारी कर दी गई है। छात्र-छात्राएं मेरिट सूची का अवलोकन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरगुजा जिले का एकमात्र स्वशासी महाविद्यालय है, जहां सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू है। प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 16 जून से शुरू हो गई है। स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑनर्स पाठ्यक्रम भी

संचालित किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जून से 15 जून 2026 तक चले ऑनलाइन पंजीयन के दौरान सभी स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके चलते महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी कर प्रवेश के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है। महाविद्यालय प्रशासन ने चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए सात दिनों का समय दिया है। इस वर्ष विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय परिसर में ही शुल्क जमा करने की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्रों को अतिरिक्त शुल्क या अन्य असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

गांधी प्रतिमा तोड़फोड़ मामला : बच्चों की शरारत या सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026 (घटती-घटना)।

गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना ने शहर में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा कर दी है। प्रतिमा का दाहिना हाथ,छड़ी और चश्मे का हिस्सा टूटा मिलने के बाद जहां लोगों की भावनाएं आहत हुई, वहीं घटना ने सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस की जांच में मामला दो अपचारी बालकों की कथित शरारत का सामने आया है, लेकिन इस खुलासे के बाद भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 15 जून 2026 को गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां प्रतिमा का दाहिना हाथ,छड़ी तथा चश्मे का हिस्सा टूटा हुआ पाया गया। प्रतिमा के आसपास टूटे हुए अवशेष भी बिखरे मिले।

पुलिस ने प्रथम दृष्टया माना कि सार्वजनिक स्थान पर स्थापित राष्ट्रीय महापुरुष की प्रतिमा को जानबूझकर क्षति पहुंचाई गई है,जिससे न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ बल्कि आम नागरिकों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। इसके बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1), 299, 324(5) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गांधीनगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। पुलिस के अनुसार फुटेज के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि दो विधि के विरुद्ध संरक्षित बालक प्रतिमा के पास खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रतिमा के हाथ और छड़ी वाले हिस्से को तोड़ दिया तथा टूटे हुए हिस्सों को वहां से फेंक दिया। जांच के बाद दोनों बालकों की पहचान कर ली गई है।

एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे बालक की तलाश जारी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि घटना खेलते समय हुई, लेकिन यह सवाल भी उठ रहा है कि शहर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहों में शामिल गांधी चौक पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा इतनी असुरक्षित कैसे रही कि बच्चे उसके हिस्सों को तोड़ने में सफल हो गए? यदि वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, नियमित निगरानी या संरक्षक व्यवस्था होती तो क्या यह घटना टाली नहीं जा सकती थी? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन अक्सर राष्ट्रीय महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना तो कर देता है, लेकिन उनके संरक्षण और रखरखाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। कई स्थानों पर प्रतिमाओं के आसपास सुरक्षा घेरा, सूचना पट्ट या निगरानी की समुचित व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। ऐसे में सार्वजनिक धरोहरों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

कुछ लोगों ने इसे सुनियोजित कृत्य बताया,जबकि कुछ ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम माना। हालांकि पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा अपुष्ट जानकारी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। यदि प्रतिमा का हिस्सा बच्चों के खेलते-खेलते टूट गया, तो प्रतिमा की मजबूती और गुणवत्ता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित प्रतिमाएं लंबे समय तक सुरक्षित रहें,इसके लिए उनकी गुणवत्ता, नियमित निरीक्षण और समय-समय पर रखरखाव आवश्यक माना जाता है।

पुलिस ने बताया कि नगर निगम अम्बिकापुर एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत और पुर्नस्थापना की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित राष्ट्रीय महापुरुषों की प्रतिमाओं और सार्वजनिक संपत्तियों का सम्मान करने तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण में सहयोग देने की अपील की है। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है, लेकिन यह मामला केवल दो बच्चों की शरारत तक सीमित नहीं दिखता। यह घटना प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर करती है कि शहर की महत्वपूर्ण सार्वजनिक धरोहरों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे।

गांधी प्रतिमा तोड़फोड़ पर कांग्रेस का सवाल....

सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर प्रश्न

अम्बिकापुर,16 जून 2026 (घटती-घटना)। गांधी चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नई प्रतिमा स्थापित करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि गांधी चौक पर स्थापित प्रतिमा को दूसरी बार नुकसान पहुंचाया गया है, जो प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सोमवार को प्रतिमा खंडित किए जाने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद संगठन ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। मीडिया से चर्चा के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस स्थान पर यह घटना हुई है, वह सरगुजा पुलिस अधीक्षक के निवास के समीप स्थित है। ऐसे में प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ सुरक्षा प्रबंधन की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह जांच का विषय है कि घटना के पीछे केवल शरारती तत्व हैं या फिर किसी सुनियोजित वैचारिक मानसिकता की भूमिका है। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि राष्ट्रपिता की नई प्रतिमा को सम्मानजनक ढंग से शीघ्र स्थापित किया जाए तथा प्रतिमा स्थल पर स्थायी और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन के दौरान कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम गठित की गई है और जांच के निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में द्वितेंद्र मिश्रा, हेमंत सिन्हा, संजय विश्वकर्मा, मोहम्मद इस्लाम, विनीत विशाल जायसवाल, अमित सिंह और रत्नेश कुमार भी शामिल रहे।

DMF घोटाले की जांच में अंबिकापुर में ईडी की दस्तक : पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के ठिकानों पर छापा,क्या अब सरगुजा में भी खुलेगा खनिज निधि के करोड़ों के खेल का राज?

विकास के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए,लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे कई इलाके...ईडी की कार्रवाई ने खड़े किए कई असहज सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जिला खनिज न्यास घोटाले की जांच अब सरगुजा संभाग तक पहुंच गई है। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने अंबिकापुर में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई की खबर सामने आते ही राजनीतिक,प्रशासनिक और कारोबारी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि ईडी ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि जांच में क्या मिला और किस आधार पर कार्रवाई की गई,लेकिन इतना तय है कि यह छापा केवल एक व्यक्ति तक सीमित मामला नहीं माना जा रहा। दरअसल, यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रदेश में डीएमएफ फंड के उपयोग,ठेकों के आवंटन,भुगतान प्रक्रिया और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पहले से ही गंभीर सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि अंबिकापुर में हुई ईडी की यह कार्रवाई अब केवल एक छापेमारी नहीं,बल्कि पूरे डीएमएफ तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाली घटना के रूप में देखी जा रही है।

राकेश गुप्ता के ठिकानों पर कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता सरगुजा की राजनीति और व्यवसायिक गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में उनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई को सामान्य घटना नहीं माना जा रहा। सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम ने अंबिकापुर स्थित प्रतिष्ठानों में कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच की। वित्तीय रिकॉर्ड, लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री की पड़ताल की गई। हालांकि जांच एजेंसी ने अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की भूमिका को लेकर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ईडी की कार्रवाई ने यह संकेत दे दिया है कि जांच एजेंसियां अब डीएमएफ फंड से जुड़े आर्थिक नेटवर्क को समझने और उसकी परतें खोलने का प्रयास कर रही हैं।

जिस फंड से बदलनी थी तस्वीर,उसी पर उठ रहे सबसे ज्यादा सवाल

जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ फंड का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि जिन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां होती हैं,वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा,सड़क,पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। खनन कंपनियों से प्राप्त राशि सीधे प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च होनी थी। लेकिन वर्षों से यह आरोप लगते रहे हैं कि डीएमएफ फंड के उपयोग में पारदर्शिता का अभाव रहा। कई स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दिए। कई परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठे,तो कई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। यही कारण है कि जब ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में सक्रिय हुई है तो लोगों की नजर अब केवल छापेमारी पर नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन पर है जिनकी जांच की जा रही है।

क्या जांच सिर्फ एक नाम तक सीमित रहेगी? यही वह सवाल है जो अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक चर्चा का विषय बना हुआ है। डीएमएफ फंड का संचालन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। इसमें प्रशासनिक स्वीकृतियां,तकनीकी अनुमोदन,निविदा प्रक्रिया, भुगतान व्यवस्था,ठेकेदार,आपूर्तिकर्ता और विभिन्न एजेंसियां शामिल होती हैं। ऐसे में यदि जांच वास्तव में व्यापक है तो सवाल केवल राकेश गुप्ता तक सीमित नहीं रहेंगे। जांच को यह भी देखना होगा कि...

- किन कार्यों के लिए भुगतान हुआ?
- किस प्रक्रिया के तहत ठेके दिए गए?
- कार्यों की गुणवत्ता क्या रही?
- भुगतान और वास्तविक कार्य में कोई अंतर था या नहीं?
- किन लोगों या संस्थाओं को सबसे अधिक लाभ मिला?

यदि इन सवालों की निष्पक्ष जांच होती है तो कई और नाम सामने आ सकते हैं।

ईडी की कार्रवाई ने कई पुराने मामलों की याद दिलाई

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोयला, शराब,भर्ती और विभिन्न वित्तीय मामलों में ईडी की कार्रवाई सुर्खियों में रही है। कई मामलों में बड़े अधिकारियों,कारोबारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। अब डीएमएफ घोटाले की जांच में सरगुजा तक पहुंची ईडी की कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यह भी माना जा रहा है कि यदि जांच एजेंसी को दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं तो आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर कार्रवाई हो सकती है।

सरगुजा में करोड़ों खर्च,लेकिन जनता के सवाल बरकरार

सरगुजा संभाग में डीएमएफ मद से वर्षों से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार,स्कूलों के उन्नयन,पेयजल योजनाओं,सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई। लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। कई गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है। सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को लेकर शिकायतें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में आम नागरिकों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि विकास के लिए इतना पैसा खर्च हुआ तो उसके परिणाम अपेक्षित स्तर पर क्यों दिखाई नहीं देते? ईडी की कार्रवाई ने इन्हीं पुराने सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है जवाबदेही

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने की संभावना है। सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताएगा तो विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दे सकता है। लेकिन आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीति नहीं, बल्कि जवाबदेही का है। जनता यह जानना चाहती है कि विकास के नाम पर खर्च की गई राशि का वास्तविक उपयोग कहां हुआ। यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए। और यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों की पहचान भी होनी चाहिए।

जनता के मन में उठ रहे बड़े सवाल...

- क्या डीएमएफ फंड के उपयोग की स्वतंत्र ऑडिट जांच होगी?
- क्या केवल राजनीतिक व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी या प्रशासनिक जिम्मेदारियों की भी पड़ताल होगी?
- जिन परियोजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च हुए, उनकी भौतिक सत्यापन जांच होगी?
- क्या ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी?
- क्या यह कार्रवाई किसी बड़े खुलासे की शुरुआत है?
- क्या सरगुजा में भी डीएमएफ फंड के उपयोग को लेकर नए तथ्य सामने आएंगे?
- सबसे महत्वपूर्ण सवालः आखिर विकास दिखता कहां है?

डीएमएफ फंड का मूल उद्देश्य खनन प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। लेकिन यदि आज भी कई क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें मौजूद हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वर्षों से खर्च किए गए करोड़ों रुपए का वास्तविक प्रभाव कितना रहा। ईडी की कार्रवाई ने कानूनी जांच से पहले एक नैतिक और प्रशासनिक बहस को जन्म दिया है। जनता अब केवल यह नहीं जानना चाहती कि किसके यहां छापा पड़ा, बल्कि यह जानना चाहती है कि विकास के लिए आए पैसे का लाभ वास्तव में किसे मिला। फिलहाल अंबिकापुर में ईडी की दस्तक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डीएमएफ फंड से जुड़े मामलों की जांच अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस कार्रवाई की असली सफलता तब मानी जाएगी जब जांच केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहकर उन सवालों का जवाब भी दे, जो वर्षों से खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोग पूछते आ रहे हैं।

इंडिया टुडे टूरिज्म समिट में छत्तीसगढ़ को मिला 'कल्चरल टूरिज्म विनर' अवॉर्ड

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जून 2026 (घटती-घटना)।

गोवा में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म समिट एंड अवॉर्ड्स 2026 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को 'कल्चरल टूरिज्म विनर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने ग्रहण किया। समिट में आयोजित पैनल चर्चा 'हिडन इंडियाः उभरते पर्यटन गंतव्य किस प्रकार घरेलू पर्यटन विकास को गति दे रहे हैं' में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, टूरिज्म बोर्ड अध्यक्ष नीलू शर्मा, सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं और नवाचारों पर अपने विचार रखे। सरकार ने इस सम्मान को राज्य की सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं, लोक कला और पर्यटन विकास के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान बताया है। हालांकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि पुरस्कार के साथ-साथ प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की चुनौती भी बनी हुई है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 / अ-6 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण विजय गुप्ता,उदय प्रसाद,मनोज प्रसाद आ.स्व. हरखू साव, श्रीमती प्रभावती देवी पति स्व. हरखू साव, सभी निवासी दरीपारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि अनावेदक भोला चेरवा आ0 सुखदेव राम एवं राममुरत गुप्ता आ.स्व. हरखू प्रसाद गुप्ता के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 10 मोहल्ला - दरीपारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3846/1, 3847/3 रकबा क्रमशः 0.020, 0.004 हे0 भूमि है। आवेदकगण सह भूधारक राममुरत गुप्ता के भाई एवं माता हैं। राममुरत गुप्ता की मृत्यु दिनांक 16.03.2014 को हो गई है। अतः सह भूधारक राममुरत गुप्ता की मृत्यु उपरांत उक्त आवेदित भूमि से उनका नाम विलोपित कर स्वयं के नाम से आवेदित भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा मृत्तक राममुरत गुप्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109,110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 24/06/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक- 09/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0-/अ- 6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पवन कुमार अग्रवाल आ. स्व. धनसी राम अग्रवाल व अन्य, निवासी देवीगंज रोड, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 213/17 रकबा 0.077 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में वसीयतनामा दिनांक 20.10.2025 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 06.07.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 15/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन से जारी।

सील

तहसीलदार
अम्बिकापुर,जिला सरगुजा

नाम परिवर्तन सूचना

मैं दिलकेश राज आ0 ललन राम आयु लगभग 35 वर्ष, जाति रजवार, निवासी ग्राम खड़गवा, तहसील भैयाथान, थाना व जिला सूरजपुर (छ0ग0) । मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि नमन राज मेरा पुत्र है, जिसका दिनांक-27/09/2025 को जिला अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) में जन्म हुआ है।

यह कि जन्म के पश्चात् मुझे मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर प्रदान किया गया जिसमें मेरे पुत्र का नाम शांतनु राज दर्ज है,जो कि गलत है, मेरे पुत्र का सही नाम नमन राज है, जो कि सत्य व सही है। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र उसके दर्ज गलत नाम शांतनु राज के स्थान पर मेरे पुत्र का सही नाम नमन राज सुधार कर दर्ज करते हुये, मुझे मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे, जिस हेतु मैं अपना स्वयं का शपथ पत्र निष्पादित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

शपथग्रहिता
दिलकेश राज

नाम परिवर्तन सूचना

मैं अंगना देवी पत्नी प्रभु प्रसाद गुप्ता, आयु-लगभग 77 वर्ष, निवासी-बौरीपारा, शिकारी रोड, थाना व तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) की हूँ मेरा वास्तविक नाम अंगना देवी (ANGANA DEVI) है,जो मेरे वोटर आई डी एवं अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है। मेरे आधार कार्ड क्र. 70824777 3585 में मेरा नाम त्रुटिवश अंजना देवी (ANJANA DEVI) दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है, जिसे मैं बदलकर मेरा सही नाम अंगना देवी (ANGANA DEVI) करना चाहती हूँ, इसी नाम से मुझे जाना एवं पहचाना जावे ।

शपथग्रहिता
अंगना देवी

आईएएस से दोगुना वेतन वाला स्टेनो! 24 साल की 'मेहरबानी'

डेढ़ लाख की तनख्वाह और सिस्टम की रहस्यमयी चुप्पी

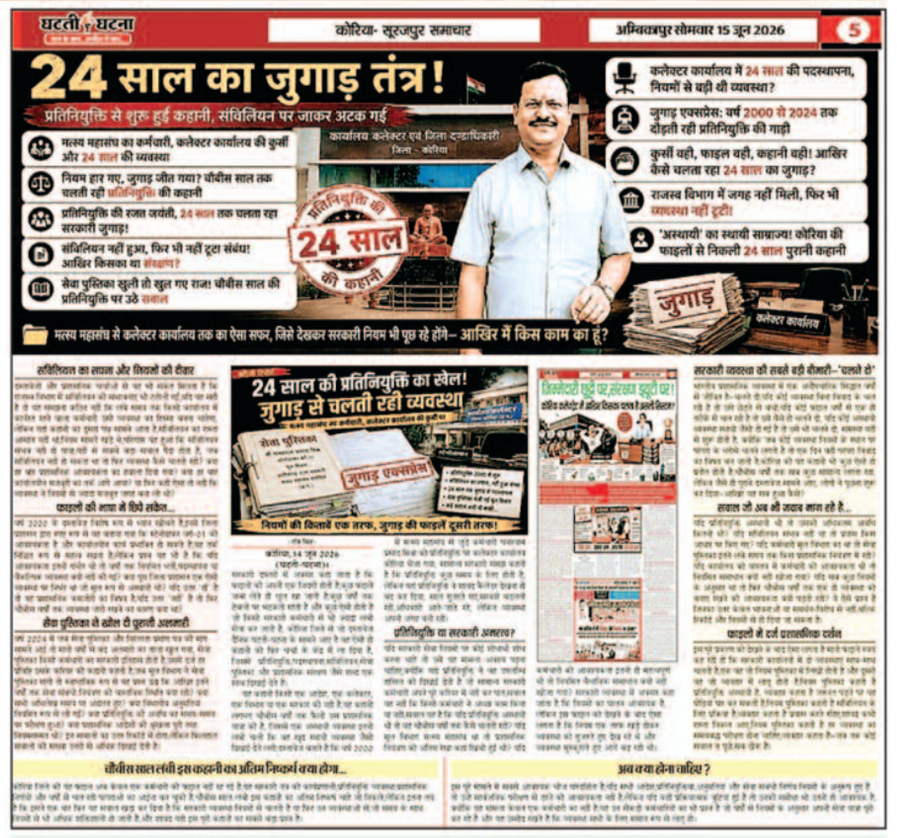

मत्स्य महासंघ से कलेक्टर कार्यालय तक का सफर,नियमों का चमत्कार,रिश्तों का कमाल या सिस्टम का बेमिसाल खेल?

मत्स्य महासंघ से कलेक्टर दरबार तक 24 साल में स्टेनो बना सिस्टम का सबसे ताकतवर किरदार,नियम हुए बेअसर?

कुर्सी ऐसी कि सरकारें बदल गईं,स्टेनो नहीं बदला! ग्रेड-3 से ग्रेड-1,डेढ़ लाख वेतन और 24 साल की प्रतिनियुक्ति का अनसुलझा रहस्य...

'साहब' बदले,सरकार बदली,लेकिन स्टेनो की कुर्सी नहीं हिली,कोरिया कलेक्टर कार्यालय में 24 साल की मेहरबानी पर उठे बड़े सवाल

यह स्टेनो है या प्रशासनिक चमत्कार? मत्स्य महासंघ का कर्मचारी,राजस्व विभाग का वेतन और 24 साल तक सत्ता के गलियारों में जलवा

डेढ़ लाख का स्टेनो और 24 साल का राज संविलियन,पदोन्नति,प्रतिनियुक्ति और वेतन निर्धारण पर घिरा घनश्याम मिश्रा प्रकरण...

'कुर्सी मेरी, मर्जी मेरी' मॉडल का खुलासा? कोरिया में स्टेनो प्रकरण ने खड़े किए प्रशासनिक जवाबदेही के गंभीर सवाल...

24 साल का स्टेनो राज! आईएएस से ज्यादा वेतन,कलेक्टर कार्यालय में स्थायी दबदबा और नियमों पर उठते सवाल...

-रवि सिंह-

कोरिया, 16 जून 2026 (घटती-घटना)। सरकारी दफ्तरों में आम कर्मचारी पूरी नौकरी निकाल देता है, लेकिन उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसकी अगली वेतनवृद्धि कब होगी,पदोन्नति कब मिलेगी और उसकी फाइल किस टेबल पर धूल खा रही है, दूसरी तरफ कोरिया जिले में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसने सरकारी व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति नियमों,पदोन्नति प्रक्रिया और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला कोरिया कलेक्टर कार्यालय में वर्षों से प्रभावशाली भूमिका में रहे स्टेनो टू कलेक्टर घनश्याम मिश्रा का है,आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उठ रहे सवालों का केंद्र केवल उनका वेतन नहीं है,बल्कि वह पूरा प्रशासनिक सफर है जिसने एक सहकारिता/मत्स्य महासंघ से जुड़े कर्मचारी को कथित रूप से 24 वर्षों तक राजस्व विभाग और कलेक्टर कार्यालय की सबसे संवेदनशील कुर्सियों में से एक पर बनाए रखा,चर्चा यह भी है कि उनका मासिक वेतन लगभग 1 लाख 46 हजार रुपये तक पहुंच चुका है,यह राशि कई वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन के बराबर या उससे अधिक बताई जा रही है, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह पूरा घटनाक्रम किन नियमों के तहत हुआ?

साल 2000 से शुरू होती है कहानी...

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर 2000 को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित भोपाल द्वारा घनश्याम मिश्रा को छत्तीसगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए मुक्त किया गया था,आदेश के अनुसार उन्हें छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ में अपनी सेवाएं देने के लिए भेजा गया था,यहीं से पहला और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है,यदि कर्मचारी को मत्स्य महासंघ में कार्यभार ग्रहण करना था तो फिर वह कलेक्टर कार्यालय की व्यवस्था का हिस्सा कैसे बना? यदि बना तो किस आदेश से? यदि प्रतिनियुक्ति पर आया तो उसकी अवधि कितनी थी? और यदि संविलियन हुआ तो उसका वैधानिक आदेश कहां है?

सवाल सिर्फ एक स्टेनो का नहीं,पूरे सिस्टम का है...

कोरिया जिले का यह मामला अब एक कर्मचारी की कहानी नहीं रह गया है,यह प्रशासनिक पारदर्शिता,वित्तीय अनुशासन, सेवा नियमों और जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है,आज जिले के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि यदि नियम सबके लिए समान हैं तो फिर कुछ लोगों पर नियम लागू क्यों नहीं होते? और यदि नियम लागू होते हैं तो 24 वर्षों तक यह व्यवस्था कैसे चलती रही? कोरिया की जनता अब जवाब चाहती है,क्योंकि सवाल केवल यह नहीं है कि एक स्टेनो डेढ़ लाख रुपये वेतन कैसे पा रहा था,बल्कि यह है कि क्या किसी व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली वह व्यवस्था है जिसने 24 वर्षों तक किसी भी सवाल को फाइलों के नीचे दबाए रखा? और शायद यही कारण है कि बैकुंठपुर के प्रशासनिक गलियारों में आज सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है यह एक कर्मचारी की असाधारण सफलता की कहानी है,या फिर सिस्टम की असाधारण मेहरबानी की?

जांच हुई तो खुल सकते हैं कई राज...

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि पिछले दो दशकों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आएगी,यह जांच बताएगी कि प्रतिनियुक्ति वैध थी या नहीं,संविलियन हुआ या नहीं, वेतन निर्धारण किस आधार पर हुआ, पदोन्नति किस नियम के तहत मिली,और आखिर वह कौन-सी प्रशासनिक आवश्यकता थी जिसके कारण 24 वर्षों तक एक ही व्यवस्था को बनाए रखा गया।

प्रशासन की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल...

इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक चर्चा प्रशासन की चुप्पी को लेकर हो रही है,यदि कर्मचारी की नियुक्ति,प्रतिनियुक्ति,वेतन,पदोन्नति और सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह वैध हैं तो प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन यदि सवालों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो संदेह और गहराते हैं।

प्रतिनियुक्ति का नियम क्या कहता है?

सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति किसी कर्मचारी को सीमित अवधि के लिए दूसरे विभाग या संस्था में भेजने की व्यवस्था है,सामान्यत: प्रतिनियुक्ति 3 से 5 वर्ष तक की होती है। विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार हो सकता है,लेकिन अनिश्चितकालीन प्रतिनियुक्ति की अवधारणा नियम पुस्तकों में नहीं मिलती,यही कारण है कि यदि कोई कर्मचारी लगभग 24 वर्षों तक एक ही विभाग में कार्यरत रहा हो तो यह स्वाभाविक रूप से जांच का विषय बन जाता है,व्यंग्य में कर्मचारी कह रहे हैं सरकारी नियमों में प्रतिनियुक्ति पांच साल की होती है,लेकिन कोरिया में शायद नया नियम बना होगा—जब तक कुर्सी खुश रहे, तब तक प्रतिनियुक्ति जारी रहे।

राजस्व विभाग में क्या स्टेनो खत्म हो गए थे?

कोरिया जिले के कर्मचारी संगठन भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं,राजस्व विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग माना जाता है,यहां स्टेनोग्राफर,सहायक ग्रेड कर्मचारी,अधीक्षक और अनुभवी प्रशासनिक अमला उपलब्ध रहता है,फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे विभाग के कर्मचारी को वर्षों तक कलेक्टर कार्यालय में बनाए रखा गया? क्या राजस्व विभाग के अपने कर्मचारी अयोग्य थे? क्या विभाग के पास कोई योग्य निज सहायक नहीं था? क्या कलेक्टर कार्यालय के लिए केवल वही एक कर्मचारी उपलब्ध था? यदि नहीं,तो अन्य कर्मचारियों के अवसर किस आधार पर रोके गए?

कलेक्टर का निज सहायक छोटी कुर्सी नहीं,बड़ा प्रभाव...

प्रशासनिक व्यवस्था में कलेक्टर का निज सहायक केवल टाइपिंग करने वाला कर्मचारी नहीं माना जाता,यह पद कलेक्टर कार्यालय के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक माना जाता है,अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों,विभागों और जनता के बीच होने वाले संवाद में इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यही कारण है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति सीधे प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र में होता है,अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि कोई अर्धसरकारी या सहकारिता क्षेत्र का कर्मचारी वर्षों तक इस कुर्सी पर बैठा रहा तो क्या उसकी भूमिका और अधिकारों की कभी समीक्षा की गई? क्या यह सुनिश्चित किया गया कि पद का दुरुपयोग न हो? या फिर पूरा सिस्टम ही इस व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखता था?

ग्रेड-3 से ग्रेड-2 और फिर ग्रेड-1 आखिर हुआ कैसे?

प्रकरण का सबसे रहस्यमय हिस्सा पदोन्नति को लेकर है, सूत्रों के अनुसार एक समय निम्न श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी बाद में उच्च ग्रेड तक पहुंच गया,अब सवाल उठ रहे हैं ग्रेड-3 से ग्रेड-2 कब बने? ग्रेड-2 से ग्रेड-1 कब पहुंचे? किस विभागीय पदोन्नति समिति ने अनुमोदन दिया? क्या वरिष्ठता सूची जारी हुई? क्या रिक्त पद उपलब्ध थे? यदि कर्मचारी मत्स्य महासंघ का था तो पदोन्नति वहां से मिली या राजस्व विभाग से? यदि राजस्व विभाग से मिली तो संविलियन का आदेश कहां है? इन सवालों का जवाब आज तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया।

1 लाख 46 हजार का वेतन...आखिर किस नियम से?

प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम मिश्रा का मासिक वेतन लगभग 1.46 लाख रुपये तक पहुंच चुका है,यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह वेतन किस वेतनमान और किस सेवा नियम के तहत निर्धारित हुआ? यदि कर्मचारी मत्स्य महासंघ का था तो वेतन संरचना किस आधार पर तय हुई? यदि राजस्व विभाग भुगतान कर रहा था तो क्या वित्त विभाग की अनुमति ली गई थी? क्या वेतन निर्धारण का परीक्षण कभी हुआ? क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कलेक्टर कार्यालय के स्टेनो का वेतन इससे काफी कम बताया जाता है,यही कारण है कि कर्मचारी अब पूछ रहे हैं जो काम 60-65 हजार में हो सकता था,उसके लिए 24 साल तक डेढ़ लाख का इंतजाम क्यों किया गया?

इंक्रीमेंट का रहस्य...फाइलें किसके पास थीं?

किसी भी कर्मचारी की वार्षिक वेतनवृद्धि सेवा पुस्तिका और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर होती है,लेकिन इस मामले में सवाल यह है कि सेवा पुस्तिका का संधारण किस विभाग ने किया? मत्स्य महासंघ ने? सहकारिता विभाग ने? या राजस्व विभाग ने? यदि कर्मचारी मूल विभाग में नहीं था तो वहां सेवा सत्यापन कैसे हुआ? यदि राजस्व विभाग में था तो संविलियन का रिकॉर्ड कहां है? हर साल वेतनवृद्धि किस आधार पर दी गई? इन सवालों के जवाब जितने जरूरी हैं, उतने ही रहस्यमय भी।

छुट्टी नहीं ली या रिकॉर्ड नहीं मिला?

सरकारी सेवा में अवकाश प्रबंधन अनिवार्य प्रक्रिया है, अर्जित अवकाश,अर्धवेतन अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य अवकाशों का रिकॉर्ड रखा जाता है,लेकिन चर्चाओं में यह बात भी सामने आ रही है कि वर्षों के रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं हैं,यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं तो यह प्रशासनिक लापरवाही का मामला हो सकता है,और यदि रिकॉर्ड हैं तो उन्हें सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों?

कांग्रेस से रिश्तेदारी,भाजपा से नजदीकी?

स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं,कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में भी प्रभाव बना रहा और भाजपा शासनकाल में भी स्थिति जस की तस रही,इसी वजह से व्यंग्य में कहा जा रहा है सत्ता बदली,सरकार बदली,कमिश्नर बदले,कलेक्टर बदले, लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वह था स्टेनो की कुर्सी, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का पक्ष भी सामने आना आवश्यक है,लेकिन यदि एक कर्मचारी हर राजनीतिक और प्रशासनिक दौर में समान प्रभाव बनाए रखता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

कमिश्नर और कलेक्टर कार्यालय पर भी सवाल...

इस पूरे मामले ने केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि उन सभी अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं जिन्होंने वर्षों तक इस व्यवस्था को जारी रहने दिया,यदि सब कुछ नियमसम्मत था तो दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? यदि नियमों के विरुद्ध था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कभी ऑडिट में यह मामला उठा? क्या वित्तीय परीक्षण हुआ?

क्या किसी अधिकारी ने आपत्ति दर्ज की? यदि नहीं,तो क्यों?

CMYK

कोरिया वन विभाग तार-तार!

सुरक्षित नर्सरी से बेशकीमती चंदनो के वृक्ष पार

कोरिया वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल,सरकारी नर्सरी से छह चंदन वृक्ष गायब,जांच और कार्रवाई की मांग तेज

मुख्यालय की फेंसिंग के भीतर हुई वारदात ने खोली सुरक्षा दावों की पोल

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,16 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में स्थित शासकीय स्थायी रोपणी (नर्सरी) से बेशकीमती चंदन के छह वयस्क वृक्षों की कथित अवैध कटाई और चोरी का मामला सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं,जिस नर्सरी को विभागीय स्तर पर सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है,वहीं से चंदन जैसे मूल्यवान वृक्षों का गायब हो जाना स्थानीय लोगों,सामाजिक संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है, स्थानीय स्तर पर यह मामला केवल वृक्ष चोरी तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वन संपदा की सुरक्षा में गंभीर चूक के रूप में देखा जा रहा है, घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग की निगरानी व्यवस्था, गश्त और जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।

भाजयुमो नेताओं ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण- भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री मनोज साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की एक टीम ने कथित रूप से नर्सरी पहुंचकर कटे हुए वृक्षों के अवशेषों का निरीक्षण किया,निरीक्षण के बाद उन्होंने वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) कोरिया को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नर्सरी जैसे संरक्षित क्षेत्र में चंदन वृक्षों की कटाई बिना विभागीय लापरवाही या प्रभावी निगरानी की कमी के संभव नहीं हो सकती, भाजयुमो ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

वन विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार

घटना के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वन विभाग इस मामले को किस गंभीरता से लेता है, स्थानीय लोगों की निगाहें अब डीएफओ कार्यालय पर टिकी हुई हैं। यदि विभाग तत्काल जांच टीम गठित कर तथ्य सार्वजनिक करता है,तो कई सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं, वहीं यदि मामला लंबे समय तक केवल फाइलों में सीमित रहा, तो जनाक्रोश और राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सवालों के घेरे में स्थानीय निगरानी व्यवस्था...

घटना के बाद स्थानीय वन अमले की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं,क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि मुख्यालय से जुड़े और फेंसिंग से घिरे परिसर में इस प्रकार की घटना हो सकती है,तो दूरस्थ जंगलों में वन संपदा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ जाती हैं,स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण और प्रभावी गश्त की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है,लेकिन मामले ने विभागीय निगरानी तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

बढ़ती चिंताओं के बीच नया मामला...

क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक दावा कर रहे हैं कि बीते वर्षों में वन संपदा से जुड़े कई मामले सामने आते रहे हैं, लोगों का कहना है कि पहले साल और सागौन की अवैध कटाई की शिकायतें उठती रही हैं और अब चंदन वृक्षों की कथित चोरी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है,हालांकि इन सभी मामलों में विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई हुई और किन मामलों में दोषियों की पहचान हुई, यह जांच का विषय है। लेकिन लगातार उठते आरोपों ने वन संरक्षण की प्रभावशीलता पर बहस को जरूर तेज कर दिया है।

मनोज साहू ने की तीन प्रमुख मांगें...

भाजयुमो मंडल महामंत्री मनोज साहू ने डीएफओ को सौंपे ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी हैं पहली,सोनहत नर्सरी से चंदन वृक्षों की चोरी की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दूसरी,जांच पूरी होने तक संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया जाए ताकि जांच प्रभावित न हो,तीसरी, यदि किसी अधिकारी,कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,मनोज साहू का कहना है कि यह मामला केवल कुछ पेड़ों की कटाई का नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति और वन संपदा की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है।

कोरिया जन सहयोग समिति ने भी दी आंदोलन की चेतावनी

मामले में सामाजिक संगठन कोरिया जन सहयोग समिति भी खुलकर सामने आ गई है, समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि यदि सरकारी नर्सरी के भीतर लगे चंदन वृक्ष सुरक्षित नहीं रह पाए हैं, तो वन विभाग के सुरक्षा दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सिद्ध होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, समिति ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वन विभाग कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

भरोसे की लड़ाई बनता जा रहा मामला...

सोनहत नर्सरी से चंदन वृक्षों की कथित चोरी का मामला अब केवल वन अपराध का विषय नहीं रह गया है,यह वन विभाग की विश्वसनीयता, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही की परीक्षा बनता जा रहा है,स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि क्षेत्र की प्राकृतिक पूंजी हैं,यदि उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं,तो उन सवालों का जवाब भी पारदर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए,फिलहाल पूरे जिले की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है, दोषियों की पहचान होती है या नहीं,और वन विभाग अपनी साख बचाने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है,जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते,तब तक सोनहत की इस नर्सरी से गायब हुए चंदन वृक्ष वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों का प्रतीक बने रहेंगे।

सराहनीय पहल : छत्तीसगढ़-एमपी सीमा के अंतिम छोर पर बसे दसेर गांव तक पहुंचा स्वास्थ्य विभाग

सुदूर वनांचल में लगा पहला विशेष स्वास्थ्य शिविर, 52 ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

-संवाददाता-

सोनहत/कोरिया,16 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिला कोरिया के विकासखंड सोनहत अंतर्गत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा से सटे अत्यंत दूरस्थ एवं दुर्गम वनांचल ग्राम दसेर में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं की नई मिसाल कायम की है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. प्रशांत सिंह के निर्देश तथा खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. बलवंत सिंह एवं सुपरवाइजर दिलीप पाण्डेय के मार्गदर्शन में सोमवार को ग्राम दसेर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया,यह शिविर विकासखंड के सबसे दूरस्थ और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए विशेष अभियान का पहला चरण था,स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीहड़ रास्तों और भौगोलिक चुनौतियों को पार करते हुए ग्रामीणों तक पहुंच बनाई और मौके पर ही स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया।

विशेष स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों के लिए मानसिक स्वास्थ्य (मेंटल हेल्थ), क्षयरोग (टीबी),कुष्ठ रोग तथा मौसमी बीमारियों की व्यापक जांच और स्क्रीनिंग की गई। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया,स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक उपकरणों के माध्यम से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की भी जांच की गई। शिविर के दौरान कुल 52 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपचार एवं निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गईं।

स्क्रीनिंग में सामने आए कई मामले

स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) और मधुमेह (शुगर) के 9 संभावित मरीजों की पहचान की गई, वहीं पेचिश से पीड़ित 5 मरीज तथा बुखार से ग्रसित 2 मरीज मिले। शिविर में दो ऐसे मरीज भी चिन्हित किए गए जिनमें टीबी के लक्षण पाए गए, इन मरीजों के नमूने आगे की जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार समय रहते बीमारी की पहचान होने से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला, स्थानीय लोगों ने कहा कि दसेर जैसे सीमावर्ती गांवों से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुंचना बेहद कठिन है,जिसके कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम का गांव तक पहुंचकर जांच और उपचार करना सराहनीय कदम है, ग्रामीणों ने सीएमएचओ डॉ. प्रशांत सिंह, बीएमओ डॉ. बलवंत सिंह एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

चार अन्य दूरस्थ गांवों में भी लगेंगे शिविर

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शासन की मंशा अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की है, दसेर से शुरू हुआ यह अभियान आगामी दिनों में विकासखंड सोनहत के चार अन्य अत्यंत दूरस्थ और वनांचल ग्रामों तक भी पहुंचेगा, अधिकारियों का कहना है कि ऐसे विशेष शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी नागरिक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे।

शिक्षा के मंदिर में गूंजी किलकारी

खुटरापारा आश्रम और प्राथमिक शाला मधोरा में धूमधाम से मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव

बीईओ अरविंद सिंह के मुख्य आतिथ्य में नवप्रवेशी बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत, 'न्योता भोज' बना आकर्षण का केंद्र

-संवाददाता-

सोनहत/बैकुंठपुर,16 जून 2026 (घटती-घटना)।

विकासखंड सोनहत के वनांचल क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मधोरा एवं खुटरापारा आश्रम शाला में नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ अवसर पर उत्साह और उल्लास के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया,कार्यक्रम में पहली बार विद्यालय की चौखट पर कदम रखने वाले नन्हे-मुन्ने बच्चों का तिलक लगाकर,आरती उतारकर एवं मिठाई खिलाकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और कॉपियां भी वितरित की गईं, कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) अरविंद सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ स्थानीय सरपंच अमर साय, बीआरसी एरोन बखला,प्रधान पाठक वैशाली सिंह,शिक्षक-शिक्षिकाएं,अभिभावक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

शिक्षा से ही खुलेगा विकास का मार्ग : अरविंद सिंह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीईओ अरविंद सिंह ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं,बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने का महापर्व है,उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास का रास्ता प्रशस्त करती है,उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजना और घर पर पढ़ाई का सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है,शिक्षकों से भी उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति अपनाने का आग्रह किया, ताकि बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि और बढ़ सके।

खेल-खेल में सीखने की संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा

विशिष्ट अतिथि बीआरसी एरोन बखला ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखा जाए,बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल-खेल में सीखने का अवसर मिले,इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि विद्यालय ऐसा वातावरण तैयार करें,जहां बच्चों को स्कूल अपना दूसरा घर महसूस हो। शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार बच्चों के सीखने और विद्यालय से जुड़ाव को मजबूत बनाता है।

पंचायत देगी हरसंभव सहयोग : अमर साय

स्थानीय सरपंच अमर साय ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्राम पंचायत विद्यालयों की आवश्यकताओं और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी, उन्होंने ग्रामीणों से बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने और शत-प्रतिशत नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की।

'न्योता भोज' ने बढ़ाई सामाजिक सहभागिता

शाला प्रवेश उत्सव के दौरान आयोजित 'न्योता भोज' कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, इसमें अतिथियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया, इस पहल ने विद्यालय और समाज के बीच बेहतर समन्वय एवं जनभागीदारी का संदेश दिया, कार्यक्रम के अंत में प्रधान पाठक वैशाली सिंह एवं विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों और उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया, पूरे आयोजन के दौरान बच्चों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला तथा विद्यालय परिसर उत्सवमय वातावरण में सराबोर रहा।

CMYK

फिल्म में इंटीमेट सींस के लिए रेखा ने बोला हां, खुशी से 4 किलोमीटर नंगे पांव दौड़ा था एक्टर

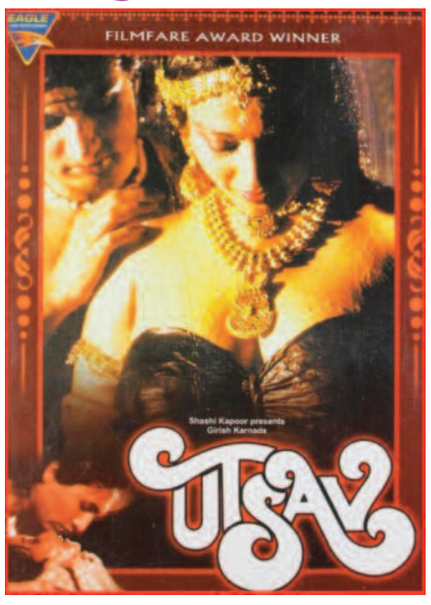

41 साल पहले शशि कपूर ने पटना से आए इस लड़के को देखते ही हीरो बनाने की ठान ली थी। हालांकि,जिस मूवी से उसे डेब्यू करना था,उसमें रेखा के साथ इंटीमेट सीन थे। बॉलीवुड की एवरग्रीन स्टार रेखा के अपोजिट काम करने की ख्वाहिश किसकी नहीं होगी। उनके अपोजिट अगर किसी न्यू कमर को एक 30 सेकंड का रोल भी मिल जाए,तो वह खुद को भाग्यशाली समझता है।

41 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था,जहां शशि कपूर ने एक लड़के को देखते ही अपनी फिल्म का लीड एक्टर चुन लिया था, लेकिन बात अटकी थी तो रेखा की एक हां पर। मूवी में कुछ अतरंगी सीन थे और पटना से आया वह एक्टर बिल्कुल नया,जिसकी वजह से कश्मकश ये थी कि रेखा मूवी में उसके साथ काम करने को तैयार होंगी या नहीं। कौन था यह पटना से आया ये लड़का,जिसने बॉलीवुड में बनाई अपनी एक अलग जगह

शशि कपूर ने लीड एक्टर बनाने का लिया था फैसला

आमतौर पर बिना किसी जान पहचान के किसी दूसरे शहर से आकर फिल्म इंडस्ट्री में आने और केंद्रीय भूमिकाएं पाने के लिए कलाकारों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। मुंबई मनोरंजन संवाददाता की रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेता शेखर सुमन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है।

पटना से आने के 15 दिनों बाद ही मुझे फिल्म उत्सव में रेखा के साथ लीड रोल मिल गया था। शशि जी, जो उस फिल्म के निर्माता थे,उन्होंने तो मुझे देखते ही कह दिया था कि अब आप मेरी फिल्म के हीरो हैं। फिर मैंने कहा कि देखिए, ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं अभी मुंबई आया हूं,खुशी से इंतकाल हो जाएगा।

फिल्म में अतरंगी सीन की वजह से रेखा की हां का था डर

शेखर बताते हैं कि आगे हीरो के तौर पर रेखा की स्वीकृति मिलनी आखिरी समस्या थी। फिल्म में कुछ अंतरंग सीन थे तो हीरो के लिए उनकी अंतिम मुहर जरूरी थी। उन्होंने कहा,कुछ दिन मैं पृथ्वी थिएटर के बाहर बैठा रहता था कि रेखा आएंगी और मुझे देखेंगी। एक दिन वह आईं,मुझे बड़े ध्यान से देखा और चली गईं। अगले दिन मुझे शशि जी का फोन आया,उन्होंने कहा,आप फिल्म के लिए चुन लिए गए हैं। मेरी बहन का घर वहां से करीब चार किमी था। शशि जी की बात सुनकर मैं खुशी में नंगे पांव बहन के घर भागा था।

फिल्म उत्सव 1984 में रिलीज हुई थी। यह एक एटोरिक ड्रामा मूवी थी, जिसके निर्देशन की कमान गिरीश करंद ने संभाली थी। फिल्म को कहानी की वजह से समीक्षकों के तो अच्छे रिव्यू मिले थे,लेकिन थिएटर्स में यह दर्शकों को खींचने में नाकामयाब साबित हुई।

फिल्म 'गवर्नर' से सुर्खियों में मनोज बाजपेयी

अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म गवर्नर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी दमदार अदाकारी और अलग तरह की फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मनोज बाजपेयी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारतीय सिनेमा और उस पर हॉलीवुड के प्रभाव को लेकर अपने विचार साझा किए।

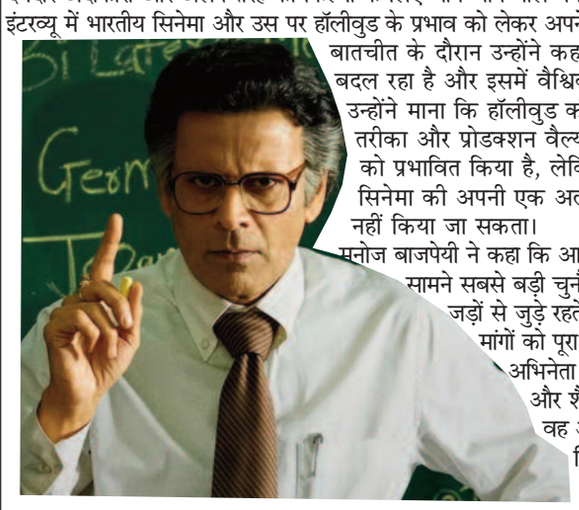

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा लगातार बदल रहा है और इसमें वैश्विक प्रभाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने माना कि हॉलीवुड की तकनीक,कहानी कहने का तरीका और प्रोडक्शन वैल्यू ने दुनिया भर के फिल्म उद्योगों को प्रभावित किया है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सिनेमा की अपनी एक अलग पहचान है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मनोज बाजपेयी ने कहा कि आज के समय में कलाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी आधुनिक सिनेमा की मांगों को पूरा करें। उनके अनुसार, एक अच्छा अभिनेता वही है जो हर तरह की कहानी और शैली में खुद को ढाल सके, चाहे वह आर्ट फिल्म हो या कमर्शियल सिनेमा। गवर्नर को लेकर भी इंडस्ट्री में उत्सुकता देखी जा रही है। फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है,लेकिन माना जा रहा है कि यह एक अलग विषय पर आधारित प्रोजेक्ट है, जिसमें मनोज बाजपेयी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी फिल्मों की खासियत रही है कि वे अक्सर यथार्थवादी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों का हिस्सा बनते हैं। हॉलीवुड के प्रभाव पर बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक और प्रस्तुति के स्तर पर भारतीय सिनेमा ने काफी प्रगति की है, लेकिन कहानी कहने की भारतीय शैली अभी भी बहुत मजबूत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की असली ताकत उसकी कहानियां और कलाकारों की ईमानदारी होती है। मनोज बाजपेयी ने अपने लंबे करियर में कई ऐसी फिल्मों में काम किया है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। उनकी अभिनय शैली को हमेशा गंभीर और वास्तविकता के करीब माना गया है। इसी कारण वे आज भी नए और प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने रहते हैं।

कॉकटेल 2 के साथ दर्शकों को मिलेंगे थिएटर्स में दो तोहफे

मेकर्स ने फैंस के लिए बनाया धांसू प्लान!

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 के साथ दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है।शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म कॉकटेल 2 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के लिए दर्शक पहले से ही काफी एक्साइटेड हैं और इस एक्साइटमेंट को बढ़ाने में मेकर्स बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप भी कॉकटेल 2 देखने का प्लान बना रहे हैं तो खुश जाहिए क्योंकि इसके साथ आपको एक दिलचस्प सरप्राइज मिलने वाला है।

कॉकटेल 2 के साथ मिलेंगे 2 सरप्राइज

खबर है कि इस आने वाली रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म के साथ दो मोस्ट अवेटेड फिल्मों के टीजर दिखाए जा सकते हैं। जिन दो फिल्मों के टीजर कॉकटेल 2 के साथ दिखाए जाने की उम्मीद है, उनमें से एक है प्रहार द उज्ज्वल निकम स्टोरी और दूसरी है श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा। यानी स्त्री के दोनों एक्टर्स कॉकटेल 2 के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं।

प्रहार के बारे में

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित फिल्म प्रहार में राजकुमार राव के साथ वामिका गब्बी,जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर नजर आएंगे। इस फिल्म को अविनाश अरुण डायरेक्ट करेंगे,जो हाल ही में अपनी आने वाली वेब सीरीज़ प्रीतम एंड पेड्रो को लेकर चर्चा में रहे हैं।

महादेव एंड सन्स' में घरेलू हिंसा सीन पर विवाद दर्शकों ने बताया टॉक्सिक और असंवेदनशील

महादेव एंड सन्स एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कलर्स टीवी के इस शो की घरेलू हिंसा को रोमांटिक दिखाने के लिए काफी आलोचना हो रही है। यह गुस्सा तब भड़का जब धीरज (आसिम खान) को रज्जी (गरविता साधवानी) को थप्पड़ मारते,धक्का देते और शारीरिक रूप से डराते-धमकाते हुए दिखाया गया। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने के बाद,दर्शकों ने टॉक्सिसिटी (ज़हरीले व्यवहार) को बढ़ावा देने के लिए मेकर्स और चैनल दोनों की आलोचना की। शो के मेकर्स पर सवाल उठाते हुए एक यूज़र ने ट्वीट किया,प्रोड्यूसर मधुबाला शो की पुरानी कामयाबी के ख्यालों में जी रहे हैं, तब ज़माना अलग था। अब लोग ज़्यादा जागरूक हैं और सामाजिक बुराइयों,टॉक्सिक रिश्तों और परिवार में बुरे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करते। आज गुस्से वाले रोमांस के नाम पर हिंसा और टॉक्सिसिटी दिखाकर कोई बच नहीं सकता। एक और यूज़र ने लिखा, कलर्स भोजपुरी रोमांस परोसने, अपने बेडौल शरीर वाले मेल लीड्स को शर्टलेस दिखाने से लेकर पिछड़ी सोच को बढ़ावा देने और घरेलू हिंसा को रोमांटिक दिखाने तक सब कुछ गलत कर रहा है, बस थोड़ी सी टीआरपी पाने के लिए!! खुशी है कि टीआरपी वाले दर्शक ऐसी बकवास को नकार देते हैं और सिर्फ़ सोशल मीडिया/फैंस ही इसकी तारीफ़ करते हैं।1942 की फिल्म 'जंग-ए-आजादी' का पुराना किस्सा फिर चर्चा में ऐसे सीन दिखाने के लिए चैनल पर सवाल उठाते हुए एक और यूज़र ने ट्वीट किया,प्रोडक्शन हाउस घरेलू हिंसा दिखा रहा है और उसे रोमांस कह रहा है। पता नहीं चैनल ऐसे सीन कैसे पास कर रहा है। एक और यूज़र ने मेकर्स की आलोचना करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आज क्या देखा। उन्होंने सचमुच धीरज को रज्जी को चोट पहुँचाते हुए और फिर हिंसा को रोमांटिक बनाते हुए दिखाया। उसे जेल में होना चाहिए, यह बहुत घिनौना है। यकीन नहीं होता कि यह वही आदमी है जिसने बीच में आकर उसे चोट लगने से बचाया था। अब आलिया भट्ट को लेकर नई खबर महादेव एंड सन्स इससे पहले भी एक्ट्रेस मानसी साल्वी के शो छोड़ने के बाद विवादों में रहा था। विवाद तब और बढ़ गया जब मानसी ने प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा की। उन्होंने कहा,हम तथ्यों को गलत तरीके से पेश

करने के लिए प्रोड्यूसर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शुरू में उनका इस्तीफ़ा स्वीकार करने के बाद, प्रोडक्शन हाउस ने बाद में उसे वापस लेने और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की कोशिश की, जिसे उनकी कानूनी टीम ने गलत और अमान्य बताया।

ऐसे सीन दिखाने के लिए चैनल पर सवाल उठाते हुए एक और यूज़र ने ट्वीट किया,प्रोडक्शन हाउस घरेलू हिंसा दिखा रहा है और उसे रोमांस कह रहा है। पता नहीं चैनल ऐसे सीन कैसे पास कर रहा है। एक और यूज़र ने मेकर्स की आलोचना करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आज क्या देखा। उन्होंने सचमुच धीरज को रज्जी को चोट पहुँचाते हुए और फिर हिंसा को रोमांटिक बनाते हुए दिखाया। उसे जेल में होना चाहिए,यह बहुत घिनौना है। यकीन नहीं होता कि यह वही आदमी है जिसने बीच में आकर उसे चोट लगने से बचाया था।

महादेव एंड सन्स इससे पहले भी एक्ट्रेस मानसी साल्वी के शो छोड़ने के बाद विवादों में रहा था। विवाद तब और बढ़ गया जब मानसी ने प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शुरू में उनका इस्तीफ़ा स्वीकार करने के बाद,प्रोडक्शन हाउस ने बाद में उसे वापस लेने और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की कोशिश की, जिसे उनकी कानूनी टीम ने गलत और अमान्य बताया।

दीपिका अमिताभ का मजेदार क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं। यह वीडियो साल 2015 का बताया जा रहा है, जब दोनों अपनी फिल्म 'पीकू' के प्रमोशन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। फिल्म 'पीकू' के प्रमोशन के समय की यह घटना एक बार फिर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। वायरल हो रहे इस क्लिप में दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के बीच हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत होती दिखाई दे रही है,जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार,प्रमोशन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपिका पादुकोन ने मजाकिया अंदाज मेंअमिताभ बच्चन की एक बात को लेकर शिकायत की थी। यह पूरा मामला हल्के-फुल्के माहौल में हुआ था, जहां दोनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा। उस समय वहां मौजूद मीडिया और दर्शकों ने इस बातचीत को काफी मनोरंजक माना था। अब सालों बाद वही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इस पुराने पल को याद कर रहे हैं,जबकि कुछ इसे 'पीकू' प्रमोशन का सबसे मजेदार हिस्सा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह क्लिप लगातार शेयर किया जा रहा है। फैंस का कहना है किअमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोन की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा ही दर्शकों को पसंद आती रही है।

खेल समाचार

लेब्रॉन जेम्स और मेसी की लिस्ट में स्मृति मंधाना का भी नाम

टाइम मैगजीन ने 2026 के स्पोर्ट्स के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है...इसमें एकमात्र भारतीय को जगह मिली है...वह महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधना है...

न्यूयॉर्क,16 जून 2026। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन ने 2026 के स्पोर्ट्स के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। वह इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं। टाइम पत्रिका की 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में ऐसे खिलाड़ी, कोच, समर्थक और निवेशक शामिल हैं जिन्होंने खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दिग्गजों में स्मृति मंधाना का भी नाम

इस सूची में अमेरिकी बास्केटबॉल के दिग्गज लेब्रॉन जेम्स,फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो,चीनी-अमेरिकी स्कीयर एलीन गु,टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज, बास्केटबॉल खिलाड़ी विक्टर वेम्बन्यामा और दिग्गज गोल्फर रोरी मैकलॉय जैसे खेल जगत के सुपरस्टार शामिल हैं।

भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की उपकप्तान 29 वर्षीय मंधाना इस विशिष्ट क्लब का हिस्सा हैं। टाइम पत्रिका में मंधाना के बारे में कहा

गया है,'मंधाना घरेलू एकदिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं,वह तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं और 17 शतकों के साथ इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में सबसे अधिक शतक की संयुक्त रिकॉर्ड धारक हैं।'

उनके बारे में मैगजीन ने आगे लिखा-स्मृति रॉयल 2024 और 2026 में चैलेंजर्स बेंगलुरु को विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जिताया और पिछले साल आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की उपकप्तान रहीं, साथ ही टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन भी बनाए। 2024 में मंधाना एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनीं और फिर अगले साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।

टेम्बा बावुमा एकमात्र पुरुष क्रिकेटर

इस लिस्ट में दो क्रिकेटर को जगह मिली है। इसमें स्मृति मंधाना के अलावा साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा है। उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पिछले साल आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। साउथ अफ्रीकी टीम को चोकर्स का टैग प्राप्त है लेकिन टेम्बा की कप्तानी में टीम ने कलंक धोते हुए खिताब अपने नाम किया।

नीदरलैंड के खिलाफ भारत का अगला मुकाबला आज

नीदरलैंड,16 जून 2026।आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर मजबूत संदेश दिया था। अब टीम इंडिया बुधवार को लीड्स में नीदरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में उतरेगी, जहां उसका लक्ष्य बेहतर और संतुलित प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में बल्लेबाजी के कुछ अच्छे संकेत जरूर दिए थे,लेकिन मध्यक्रम की कमजोरियों ने चिंता भी बढ़ाई है। शीर्ष क्रम में स्मृति मंधाना ने शानदार 68 रनों की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़कर टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। पहले मैच में भारत की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा जल्दी आउट हो गईं। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की,लेकिन वह उसे बड़े स्कोर में बदलने में सफल नहीं हो सकीं। मध्यक्रम में भारती फुलमाली का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा,जिससे टीम की बल्लेबाजी गहराई पर सवाल उठे हैं। टीम प्रबंधन के अनुसार,भारत को आगे के मैचों में बल्लेबाजी लाइनअप से अधिक स्थिरता की जरूरत होगी। खासकर मध्यक्रम में साझेदारियों को मजबूत करना टीम के लिए अहम होगा, ताकि बड़े मुकाबलों में दबाव से निपटा जा सके। गेंदबाजी और फील्डिंग में टीम ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब फोकस बल्लेबाजी को मजबूत करने पर रहेगा। नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारत का लक्ष्य शुरुआत से ही आक्रामक लेकिन संतुलित खेल दिखाना होगा। टीम चाहती है कि शीर्ष क्रम के साथ-साथ मध्यक्रम भी जिम्मेदारी निभाए, ताकि बड़े स्कोर या लक्ष्य का पीछा आसानी से किया जा सके।

मेसी और रोनाल्डो अपने आखिरी फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार

नई दिल्ली,16 जून 2026। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी मशहूर प्रतिद्वंद्विता में एक और अध्याय जोड़ने के लिए तैयार हैं। वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेंगे और टूर्नामेंट के छह संस्करणों में खेलने वाले इतिहास के पहले पुरुष फुटबॉलर बन जाएंगे। 2006 में जर्मनी में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने से लेकर 2026 में अपने-अपने देशों की कप्तानी करने तक, इन दोनों दिग्गजों ने दो दशकों से ज़्यादा समय तक वर्ल्ड फुटबॉल पर राज किया है। नॉर्थ अमेरिका में होने वाला यह टूर्नामेंट फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर उनकी आखिरी उपस्थिति हो सकती है, इसलिए दोनों ही यादगार विदाई की कोशिश करेंगे।

अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया : चैंपियन अपने खिताब का बचाव शुरू करेंगे डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना 17 जून को अल्जीरिया के खिलाफ अपने खिताब का बचाव शुरू करेगा, जिसमें मेसी के एक बार फिर अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। चार साल पहले कतर में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने के बाद, 39 वर्षीय खिलाड़ी ला एल्बिसेलेस्टे (अर्जेंटीना टीम) को लगातार खिताब जीतने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना इस प्रतियोगिता में पसंदीदा टीमों में से एक के तौर पर उतरेगा और अपने कप्तान के साथ-साथ जूलियन अल्वारेज़ और गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज जैसे अहम खिलाड़ियों पर निर्भर रहेगा। हालांकि,अल्जीरिया से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है,क्योंकि वे शानदार नतीजों के बाद आत्मविश्वास के साथ आए हैं। अनुभवी विंगर रियाद महरेज़,फॉरवर्ड मोहम्मद अमौरा और डिफेंडर रेयान ऐत-नूरी उलटफेर करने की उनकी उम्मीदों के केंद्र में होंगे। पुर्तगाल बनाम ष्ठक्रकांगो-यूरोपीय दिग्गज अफ्रीकी चुनौती देने वालों से भिड़ेंगे इस बीच,रोनाल्डो का पुर्तगाल हाल ही में डीआर नेशंस लीग में मिली जीत के जोश के साथ डीआर कांगो के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। पुर्तगाली टीम के पास टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, जिसमें उनके अनुभवी कप्तान के साथ ब्रूनो फर्नांडीस और विटिन्हा जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं।

पुर्तगाल को फॉरवर्ड डियोगो जोटा की याद और देश को वर्ल्ड कप जिताने के उनके सपने से भी प्रेरणा मिलेगी। रोनाल्डो, जिन्होंने फुटबॉल में लगभग हर बड़ा सम्मान जीता है,उस एक ट्रॉफी को उठाने के लिए बेताब होंगे जो उनके शानदार करियर में अब तक उनसे दूर रही है। डीआर कांगो योएन विसा, मेशैक एलिया और कप्तान चांसल म्बेम्बा के नेतृत्व में एक प्रतिभाशाली टीम के साथ वर्ल्ड कप के मंच पर वापसी कर रहा है। अपनी गति और शारीरिक ताकत के लिए जानी जाने वाली यह अफ्रीकी टीम टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों में से एक के खिलाफ मजबूत छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को हिंदी, अंग्रेज़ी, मलयालम और बांग्ला समेत कई भाषाओं में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

CMYK

छत्तीसगढ़ DMF घोटाला...कांग्रेस नेता के घर ED की रेड

रायपुर में कारोबारी लुणावत,धमतरी में ठेकेदार दीपेश गांधी के घर दबिश

धमतरी,16 जून 2026। छत्तीसगढ़ के 5 अलग-अलग जिलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेड मारी है। DMF घोटाले से जुड़े कारोबारियों और ठेकेदारों के घर छापेमारी की गई है। इनमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी, अंबिकापुर और महासमुंद सहित कई ठिकाने शामिल है। रायपुर के वल्लभ नगर में कारोबारी शाश्वत लुणावत, सरगुजा में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के फर्म मानसून एग्रो और धमतरी जिले में ठेकेदार दीपेश गांधी के आवास पर दबिश दी गई है। ईडी की टीम ने यहां डॉक्यूमेंट्स और पैसों के लेनदेन की जांच की।

कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता के घर छापा

जानकारी के मुताबिक, राकेश गुप्ता कृषि विभाग के बड़े सप्लायर हैं। वे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। मंगलवार सुबह ईडी की टीम सरगुजा पहुंची और उनके फर्म मानसून एग्रो में दबिश दी। जहां फर्म के डॉक्यूमेंट, डिजिटल और सप्लाई के रिकॉर्ड खंगाले गए। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में राकेश गुप्ता के फर्म से की गई सप्लाई की जांच की गई। प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में यह तथ्य निकल कर सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड कोरबा के फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गई है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। ईडी के तथ्यों के मुताबिक टेंडर करने वाले संजय शिंदे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी और बिचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल और शेखर नाम के लोगों के साथ मिलकर पैसे कमाए गए।

ठेकेदार के परिवार वालों का मोबाइल जब्त

ईडी की टीम सुरक्षा बलों के साथ 2 गाड़ियों में धमतरी पहुंची थी और कोतवाली थाना क्षेत्र के आमापारा वार्ड स्थित दीपेश गांधी के निवास पर छापा मारा। मकान के अंदर 6 से ज्यादा अधिकारियों ने दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान टीम ने घर में मौजूद परिवार वालों का मोबाइल कब्जे में लिया था। साथ ही पैसों के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल भी की गई है। बता दें कि दीपेश गांधी पेशे से ठेकेदार है। वह अलग-अलग सरकारी और निजी परियोजनाओं में बड़े ठेकेदारों के साथ काम करता है।

25 से 40 प्रतिशत का कमीशन

ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भारी मात्रा में कमीशन का भुगतान किया है, जो कि कांट्रैक्ट का 25% से 40% तक था। रिश्वत के लिए दी गई रकम की एंट्री विक्रेताओं ने आवासीय (अकोमोडेशन) के रूप में की थी।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,परिवार में एक सरकारी नौकरी है तो दूसरी अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी

बिलासपुर,16 जून 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में दी जाने वाली राहत है, जिसे केवल निर्धारित नीति और नियमों के तहत ही प्रदान किया जा सकता है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस संबंध में सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। मामला धमतरी जिले के कुरुद तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 स्वर्गीय अशोक कुमार रंगारी से जुड़ा है, जिनका 5 नवंबर 2024 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन के बाद पुत्र हेनरी रंगारी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जांच में पता चला कि मृतक का बड़ा पुत्र और हेनरी का सौतेला भाई वीरेंद्र बहादुर रंगारी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत है और जगदलपुर में पदस्थ है। इसी आधार पर जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति ने आवेदन निरस्त कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वीरेंद्र बहादुर रंगारी वर्ष 2006 से परिवार से अलग रह रहा है।

छत्तीसगढ़ में RWA के लिए बनेगा नया कानून

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने बुलाई हाई-लेवल बैठक,18 जून को होगा विचार-विमर्श

रायपुर,16 जून 2026। छत्तीसगढ़ में आवासीय सोसायटियों, कॉलोनियों और टाउनशिप के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में संचालित आवासीय कल्याण संघों के सुचारू संचालन, नियमों और उनके अधिकारों को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए एक समग्र अधिनियम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस नए कानून के प्रारूपण पर चर्चा करने के लिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 12 जून 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी प्रमुख विभागों की एक हाई-लेवल विचार-विमर्श बैठक आमंत्रित की गई है।

क्यों पड़ रही है नए कानून की जरूरत? अब तक छत्तीसगढ़ में कॉलोनियों और सोसायटियों के हैंडओवर और मेंटेनेंस को लेकर बिल्डर्स और नागरिकों के बीच लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए विभाग विभिन्न राज्यों में प्रचलित RWA संबंधी विधिक प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन और परीक्षण कर रहा है।

पंजीयन और प्रबंधन: आवासीय समितियों और सोसायटियों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना।

वित्तीय प्रबंधन : सोसायटियों द्वारा वसूले जाने वाले मेंटेनेंस शुल्क, फंड के रख-रखाव और उनके ऑडिट की पारदर्शी व्यवस्था तय करना।

साझा संपत्तियों का रखरखाव: कॉलोनी के भीतर मौजूद सामान्य सुविधाओं जैसे- गार्डन, क्लब हाउस,स्ट्रीट लाइट,ड्रेनेज और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी और नियम स्पष्ट करना।

18 जून को नवा रायपुर में होगी बड़ी बैठक : इस प्रस्तावित अधिनियम पर सभी प्रमुख हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव और विचार प्राप्त करने के लिए 18 जून 2026 को सुबह 11:00 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक तय की गई है। यह बैठक बैठक कक्ष क्रमांक-4, तृतीय तल, संचालनालय,इंद्रावती भवन,नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जाएगी। विभाग ने सभी संबंधितों से स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजने का आग्रह किया है।

बिजली-बिल बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन

17 को बिजली दफ्तरों का घेराव किया जाएगा,18 जून को होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस...

रायपुर,16 जून 2026। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हालिया बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग करते हुए 17 और 18 जून को चरणबद्ध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर 17 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद 18 जून को जिला स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी बिजली दर वृद्धि को लेकर अपना पक्ष जनता के सामने रखेगी।

आंदोलन में सभी संगठन और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल : कांग्रेस ने जिला, शहर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों, सांसद प्रत्याशियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों और जनप्रतिनिधियों को आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

बिजली दर वृद्धि से उपभोक्ताओं और किसानों पर बढ़ेगा बोझ : पार्टी का कहना है कि बिजली दरों में वृद्धि से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कांग्रेस ने सरकार से बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने की मांग की है और आंदोलन को प्रदेशभर में व्यापक रूप से संचालित करने की तैयारी शुरू कर दी है।

क्या है नई बिजली दरें, कितना बढ़ेगा बिल? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, व्यावसायिक (कॉमर्शियल) उपभोक्ताओं को अब 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। हालांकि, आयोग ने बिजली कंपनी की ओर से प्रस्तावित 24 प्रतिशत बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं किया और औसतन 6.23 प्रतिशत दर वृद्धि को ही मंजूरी दी है। नई बिजली दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगी।

आयोग का दावा: आम उपभोक्ताओं पर असर सीमित

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव सूर्य प्रकाश शुक्ला के मुताबिक औसतन 40 से 42 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं के निचले स्लैब में 30 पैसे और ऊपरी स्लैब में 50 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की गई है। राज्य में बिजली बिल हाफ योजना लागू है। 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक छूट मिलती रहेगी।

भूपेश बघेल का बड़ा हमला...सौरभ चंद्राकर के साथ फर्जी चैट का स्क्रीनशॉट वायरल करने का लगाया आरोप,बोले...लीगल टीम करेगी कानूनी कार्रवाई!

रायपुर,16 जून 2026। छत्तीसगढ़ की राजनीति और मीडिया गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से चलाई जा रही एक कथित खबर और चैट को पूरी तरह फर्जी,मनगढ़ंत और फोटोशॉप जनित करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए विरोधियों और कथित पत्रकारों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक चैट वायरल किया जा रहा था, जिसमें महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ पूर्व सीएम की बातचीत का दावा किया जा रहा था। इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर सीधे उस इंस्टाग्राम अकाउंट का चैट बॉक्स और प्रोफाइल शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि सौरभ चंद्राकर नामक इस आईडी (जिसके 32के फॉलोअर्स हैं) के साथ किसी भी तरह के मैसेज या संदेश का कोई आदान-प्रदान (चैट) नहीं हुआ है। प्रोफाइल पर साफ लिखा है- 'You don't follow each other on Instagram '। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस फर्जी खेल को खेलने वालों पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि, 'सुबह से फर्जी फ़ोटोशॉप के आधार पर एक खबर एक पोर्टल पर चलाई जा रही है। इन फर्जी खेल को खेलने वालों को बता देना चाहता हूँ कि इन फर्जी खबरों के प्रायोजकों (स्पॉन्सर्स) का नाम भी हम तक पहुँच चुका है।' उन्होंने आगे चेताया कि जो इस नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं, बघेल ने कहा, 'जो कथित पत्रकार इस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, वे भी चेत जाएँ।' भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि इस ओछी राजनीति और छवि धूमिल करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बलौदाबाजार में कब्र खोदकर निकाले गए 6 शव,खजाने के लिए हत्या की आशंका

बलौदाबाजार,16जून 2026। जिले के Kharwe village में पिछले तीन महीनों के भीतर हुई आठ संदिग्ध मौतों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं और आरोप सामने आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

शराब में जहर मिलाकर हत्या के गंभीर आरोप : ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने कथित रूप से शराब में जहर मिलाकर लोगों को पिलाया, जिसके कारण एक-एक कर कई लोगों की मौत हो गई। इन मौतों ने गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है। हालांकि,पुलिस ने अभी तक इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच जारी है।

कब्र से शव निकालकर दोबारा पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मृतकों के शवों का दोबारा परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। शनिवार को एक शव को कब्र से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था, जबकि मंगलवार को जेसीबी मशीन की मदद से बाकी छह शवों को भी कब्र से बाहर निकाला गया। इन शवों को आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

जांच में पुलिस,राजस्व विभाग और फॉरेंसिक साइंस लैब की संयुक्त टीम शामिल : इस मामले की जांच पुलिस, राजस्व विभाग और फॉरेंसिक साइंस लैब की संयुक्त टीम कर रही है। टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत एकत्र किए हैं और ग्रामीणों से पूछताछ भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

मृतकों की सूची और घटनाओं की समयरेखा

जानकारी के अनुसार फरवरी से मई 2026 के बीच गांव में चैतू साहू (55),पूर्व सरपंच छातूराम साहू (58), विनोद साहू (36),बद्री पटेल (58), जगानंद माछी (50), बुटालू साहू, बुधराम जायसवाल और महत्तरू साहू (40) की मौत हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी लोगों का एक ही व्यक्ति से संपर्क था, जिसने कथित रूप से उन्हें शराब पिलाई थी। एक व्यक्ति ने शराब पीने के बाद उल्टी कर दी, जिससे उसकी जान बच गई।

प्रार्थना सभा के दौरान छात्र बेहोश गर्मी और उमस से बिगड़ी तबीयत

दुर्ग,16जून 2026। दुर्ग जिले के एक निजी स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान एक छात्र अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। यह घटना जेआरडी स्कूल में 16 जून की सुबह उस समय हुई जब सभी छात्र प्रार्थना सभा में शामिल थे। अचानक हुई इस घटना से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, छात्र को तेज गर्मी और उमस के कारण चक्कर आया और वह प्रार्थना सभा के दौरान ही जमीन पर गिर पड़ा। मौजूद शिक्षकों और स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाला और छात्र को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की। इसके बाद बिना देरी किए छात्र को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि गर्मी के कारण छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। घटना के तुरंत बाद उसे अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता थी, ताकि समय पर इलाज मिल सके। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में छात्र का उपचार किया जा रहा है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और छात्र के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर इलाज की प्रगति के बारे में भी अपडेट लिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, फिलहाल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि समय पर उपचार मिलने के कारण स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना के बाद स्कूल परिसर में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल बना रहा।

बस्तर में पत्रकारों का हल्लाबोल : सुरक्षा कानून लागू करो,बिना जांच पत्रकारों पर एफआईआर बंद हो,सीएम को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर,16 जून 2026। पत्रकारों पर बिना जांच सीधे एफआईआर दर्ज होने से नाराज बस्तर जिला पत्रकार संघ ने जगदलपुर में एक दिवसीय धरना दिया। पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 को पूरी तरह लागू करने की मांग की।

1. **कानून को अधिसूचित करो :** छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हो चुका है। मगर नियम-प्रक्रिया अब तक अधिसूचित नहीं। इससे कानून जमीन पर लागू नहीं हो रहा।
2. **डीएसपी जांच अनिवार्य :** कानून के तहत किसी पत्रकार पर एफआईआर से पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी से जांच जरूरी है। फिर भी सीधे केस दर्ज हो रहे हैं।
3. **भयमुक्त माहौल दो :** संघ अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि बिना जांच एफआईआर से पत्रकारों को मानसिक, सामाजिक और कानूनी परेशानी झेलनी पड़ती है।

धरने में उठी आवाज : बड़ी संख्या में जुटे पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कानून की भावना के खिलाफ काम हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि पालन नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून वर्ष 2023 से लागू है ।

भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी मामले में बड़ा खुलासा,मास्टरमाइंड संजय सिंह गिरफ्तार

भिलाई,16 जून 2026। भिलाई स्टील प्लांट में करीब 250 टन स्क्रैप लोहा चोरी के मामले में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे हिरासत में लेकर दुर्ग लाया जा रहा है। इस पूरे मामले में संजय सिंह और उसके बेटे अभय सिंह पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार, यह मामला छावनी सर्किल के भिलाई-3 थाना क्षेत्र का है, जहां भिलाई स्टील प्लांट से बड़े पैमाने पर स्क्रैप लोहे की चोरी की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस के साथ-साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी समानांतर जांच कर रही थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी संजय सिंह को आखिरकार दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि चोरी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा सके। इस बीच छावनी ष्टस्क प्रशांत पैकरा ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया है, जबकि दूसरी ओर दुर्ग रेंज के ष्ठढ्ढत-स्स्क विजय अग्रवाल और क्राइम ष्टस्कयदुमणि सिदार ने संजय सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह और उसके बेटे अभय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने संगठित तरीके से भिलाई स्टील प्लांट से स्क्रैप लोहा चोरी की योजना बनाई और उसे अलग-अलग माध्यमों से खपाने का प्रयास किया। फिलहाल बेटे अभय सिंह की तलाश जारी है और पुलिस उसकी संभावित लोकेशनों पर लगातार दबिश दे रही है। मामले की जांच में यह भी सामने आ रहा है कि चोरी का नेटवर्क बड़ा हो सकता है और इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।

घायल हाथी की इलाज के दौरान हुई मौत

मालगाड़ी की टक्कर से हुआ था चोटिल...

घरघोड़ा/रायगढ़,16 जून 2026। घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चारमार गांव के समीप मालगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हाथी को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर के मुताबिक लगभग 45 वर्ष की उम्र के हाथी के कमर में गहरी चोट आई थी। रायगढ़ जिले के चारमार गांव के पास रात लगभग 8 बजे हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल के पास 5 अन्य हाथी मौजूद थे, जिससे खतरा बढ़ गया और ग्रामीणों को यहां से दूर रहने को कहा गया। घायल हाथी के इलाज के लिए मुख्य वन संरक्षक मनोज पांडेय देर रात ही पशु चिकित्सक डॉ पी के चंदन को लेकर यहां पहुंचे। सुबह तक घायल हाथी को बचाने का प्रयास होता रहा, मगर सफलता नहीं मिली।

बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में अब दूसरे राज्य के डॉक्टर भी कर सकेंगे प्रैक्टिस

रायपुर,16 जून 2026। छत्तीसगढ़ में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक जरूरी खबर है। अब प्रदेश के अस्पतालों में दूसरे राज्यों के डॉक्टर भी बिना किसी रोक-टोक के प्रैक्टिस कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिससे अब डॉक्टरों को छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के नाम से जारी हुई यह अधिसूचना अब प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी लागू होगी। यानी अब बाहर से आने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को यहां काम करने के लिए अलग से फाइलें नहीं दौड़ानी होंगी। अभी तक नियम यह था कि किसी भी राज्य के डॉक्टर अगर छत्तीसगढ़ में नौकरी या प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य था। लेकिन, अब नर्सिंग होम अधिनियम 2010 के तहत इसे बदल दिया गया है। अब अगर किसी डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के पास भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का रजिस्ट्रेशन है, तो वे छत्तीसगढ़ में काम करने के पूरी तरह से पात्र होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद से किसी तरह के अतिरिक्त अप्रूवल की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि सरकार का सीधा मकसद प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को जल्द से जल्द पूरा करना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने सभी सीएमएचओ को निर्देश दिए थे कि दूसरे राज्यों से आने वाले डॉक्टरों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए। लेकिन अब सरकार की इस नई अधिसूचना के बाद वह पुराना आदेश पूरी तरह से खत्म हो गया है। निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में काम कर रहे दूसरे राज्यों के डॉक्टरों को अब बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले के साथ एक बड़ा रिस्क भी जुड़ा है। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर का यहां कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो उनकी डिग्री की असलियत कैसे पता चलेगी? दूसरे राज्यों में फर्जी डिग्री के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। स्थानीय काउंसिल से कोई लेना-देना न रहने पर वेरिफिकेशन कौन करेगा? बिना जांच के क्लीनिक और अस्पताल खोलने की छूट से मरीज भ्रमित हो सकते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की तैयारी चल रही है। इसके अलावा, डॉक्टरों का हर 5 साल में रिनुअल कराने की योजना है, जिससे फर्जीवाड़ा रुक सके। फिलहाल, इस आदेश के बाद रायपुर से लेकर बस्तर तक के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती आसान हो जाएगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)